



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबै/डीओआर/2025-26/327

डीओआर.एसटीआर.आरईसी.सं.246/21.04.048/2025-26

28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था- क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण)
निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I – प्रारंभिक.....	2
भाग ए- ऋण एक्सपोज़र का अंतरण	4
अध्याय I- व्यापकता और परिभाषाएं.....	4
अध्याय II – सभी ऋण अंतरण के लिए लागू सामान्य शर्तें	8
अध्याय III – ऋणों का अंतरण जिनमें चूक नहीं है	12
अध्याय IV – दबावग्रस्त ऋणों का अंतरण.....	18
भाग बी- सह-उधार व्यवस्था.....	30
अध्याय I- व्यापकता और परिभाषाएं.....	30
अध्याय II – विवेकपूर्ण मानदंड	31
भाग सी- अन्य प्रकार के उधार और जोखिम अंतरण की व्यवस्था	36
अध्याय I – संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाएं के तहत ऋण.....	36
भाग डी: निरसन और बचत.....	37
अनुबंध I.....	39
अनुबंध II.....	42
अनुबंध III	49



परिचय

ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण कई कारणों से किया जाता है, जिनमें चलनिधि प्रबंधन से लेकर एक्सपोजर का पुनर्संतुलन अथवा रणनीतिक बिक्री शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण एक्सपोजर के अंतरण, सह-ऋण व्यवस्थाओं, संघीय व्यवस्था और अन्य पर निदेशों/दिशानिर्देशों द्वारा इसके विकास की दिशा में कई कदम उठा रहा है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ऋण जोखिम अंतरण और वितरण के विभिन्न तरीकों को अभिशासित करने वाले नियामक दिशानिर्देशों का एक व्यापक और स्व-निहित फ्रेमवर्क जारी करता है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

1. अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
- यह निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर डाले जाने के दिन से प्रभावी होंगे।

बशर्ते, भाग बी के तहत निदेश 01 जनवरी, 2026 से अथवा किसी भी पूर्व की तारीख से लागू होंगे, जैसा कि एआईएफआई द्वारा अपनी आंतरिक नीति ("प्रभावी तिथि") के अनुसार तय किया गया है। प्रभावी तिथि के बाद दर्ज की गई कोई भी नई सह-उधार व्यवस्था (सीएलए) भाग बी के तहत निदेशों के अनुपालन में होगी।

बशर्ते कि मौजूदा सीएलए (अर्थात्, 06 अगस्त 2025 से पूर्व निष्पादित ऋण व्यवस्था) और प्रभावी तिथि से पहले दर्ज किए गए नए सीएलए मौजूदा नियमों के अनुपालन में होंगे।

बी. प्रयोज्यता

- यह निदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (जिसे आगे से 'एआईएफआई' के रूप में संदर्भित) अर्थात् भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) पर लागू होंगे।



सी. परिभाषाएं

4. इस निदेश के संबंधित भागों में शर्तों को परिभाषित किया गया है।
5. अन्य सभी अभिव्यक्तियां, जब तक कि संबंधित भागों में परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा उसके किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन अथवा किसी अन्य सुसंगत विनियमन अथवा वाणिज्यिक भाषा में, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत उन्हें दिया गया ।



भाग ए - ऋण एक्सपोजर का अंतरण

6. ऋण अंतरण एक ऋण जोखिम बाजार के विकास के लिए आवश्यक है, जो वित्तीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के विविधीकरण को सक्षम करता है और निवेशकों के एक विविध समूह के लिए बाजार-आधारित ऋण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिनके पास आनुपातिक क्षमता और जोखिम उठाने की क्षमता है।

अध्याय I - व्यापकता और परिभाषाएं

ए. प्रयोज्यता और उद्देश्य

7. एआईएफआई केवल पैरा 12 (4) में ऋणदाता के रूप में विनिर्दिष्ट अंतरणकर्ता से ऋण प्राप्त करेंगे जब तक कि विशेष रूप से अनुमति न हो।
8. कोई भी एआईएफआई इस निदेश के भाग ए के तहत अनुमत और उसमें निर्धारित तरीके से ऋण अंतरण अथवा अधिग्रहण के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण अंतरण अथवा अधिग्रहण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025, बाह्य वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण और संरचित बाध्यताएं पर 26 मार्च, 2019 को जारी मास्टर निदेश; गारंटी प्राप्त करना; अथवा भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार स्पष्ट रूप से अनुमति दिए गए उत्पाद; के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

9. भाग ए के निदेश एआईएफआई द्वारा किए गए सभी ऋण अंतरणों पर लागू होंगे, जिसमें नवीकरण अथवा समनुदेशन के माध्यम से ऋण का अंतरण और ऋण भागीदारी शामिल है।

बशर्ते कि ऋण भागीदारी के अतिरिक्त अन्य ऋण अंतरण के मामलों में, ऋण का विधिक स्वामित्व अनिवार्य रूप से अंतरित आर्थिक हित की सीमा तक अंतरिती (ओं) को अंतरित किया जाएगा।

10. यह निदेश केवल ऋण अंतरण में अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती के रूप में एआईएफआई पर लागू होंगे, जब तक कि पैरा 58 और 62 के अनुसार विशिष्ट अनुमतियों के अनुसार अंतरिती के रूप में संस्थाओं की अन्य श्रेणियों पर विशेष रूप से लागू न हों।
11. पैरा 12(4) में उल्लिखित ऋणदाताओं तथा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी), जो वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएं भी हैं, के अतिरिक्त अन्य अंतरिती (ओं) के संबंध में, अंतरण के बाद आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान सहित विवेकपूर्ण मानदंड संबंधित वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि



विनियामक और विकास प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा निर्धारित संबंधित विनियामक फ्रेमवर्क के अनुसार होंगे।

बी.परिभाषाएं

12. इन निदेशों के भाग ए के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

- (1) "ऋण वृद्धि" का अर्थ है एक संविदात्मक व्यवस्था जिसमें एक इकाई किसी लेन-देन के लिए अन्य पक्षों को कुछ हद तक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है ताकि उनके अधिग्रहित एक्सपोजर के क्रेडिट जोखिम को कम किया जा सके;
- (2) "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना (जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत परिभाषित किया गया है) जब ऋण का पूरा अथवा कोई भाग अथवा किस्त देय और देय हो गई है और देनदार अथवा कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो;
- (3) "आर्थिक हित" उन जोखिमों और पुरस्कारों को संदर्भित करता है जो जीवन में ऋण एक्सपोजर के माध्यम से ऋण एक्सपोजर से उत्पन्न हो सकते हैं;
- (4) "ऋणदाताओं" में निम्नलिखित संस्थाओं का समूह शामिल होगा,

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; स्थानीय क्षेत्र के बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक; राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक; अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान(नाबार्ड,एनएचबी, एक्जिम बैंक,सिडबी और एनएबीएफआईडी); लघु वित्त बैंक; आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)।

बशर्ते कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; स्थानीय क्षेत्र के बैंक; और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/केंद्रीय सहकारी बैंकों को इन निदेशों के भाग ए के अध्याय IV के तहत केवल ऋण अंतरणकर्ता के रूप में अनुमति दी गई है और किसी अन्य प्रकार के ऋण अंतरण में अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती के रूप में अनुमति नहीं है।

- (5) "ऋण भागीदारी" का अर्थ है एक लेन-देन जिसके माध्यम से अंतरणकर्ता ऋण अनुबंध के वास्तविक अंतरण के बिना ऋण एक्सपोजर में अपने आर्थिक हित के सभी अथवा कुछ भाग को अंतरिती (ओं) को अंतरित करता है, और अंतरिती अंतरणकर्ता को अंतरित आर्थिक हित की सीमा तक निधि देता है जो मूलधन, ब्याज, शुल्क और अन्य भुगतानों के बराबर हो सकता है, यदि कोई हो, अंतरण समझौते के तहत;



बशर्ते कि ऋण भागीदारी के तहत आर्थिक हित का अंतरण केवल अंतरणकर्ता और अंतरिती (ओं) के बीच एक संविदात्मक अंतरण समझौते के माध्यम से होगा, जिसमें अंतरणकर्ता रिकॉर्ड पर ऋणदाता के रूप में शेष होगा।

बशर्ते कि ऋण भागीदारी के मामले में, अंतरिती (ओं) का एक्सपोजर अंतर्निहित उधारकर्ता पर होगा, न कि अंतरणकर्ता पर। तदनुसार अंतरणकर्ता और अंतरिती (ओं) ऐसे अंतरण के पश्चात प्रत्येक के द्वारा धारित आर्थिक हित के आधार पर गणना किए गए अंतर्निहित उधारकर्ता के एक्सपोजर के अनुसार पूंजी बनाए रखेंगे। अंतरण के बाद प्रावधान आवश्यकताओं सहित लागू विवेकपूर्ण मानदंड, उपरोक्त एक्सपोजर निरूपण और परिणामी बकाया पर आधारित होंगे।

(6) "न्यूनतम धारित अवधि (एमएचपी)" का अर्थ है न्यूनतम अवधि जिसके लिए एक अंतरणकर्ता को अंतरिती को अंतरित करने से पहले ऋण एक्सपोजर को धारण करना चाहिए;

(7) "निवल बही मूल्य(एनबीवी)" का अर्थ है ऋण एक्सपोजर की वित्त पोषित बकाया राशि जो की ऐसे एक्सपोजर पर बनाए हुए विशिष्ट प्रावधानों से कम किए गए हो ;

(8) "अनुमत अंतरिती" का अर्थ नीचे विनिर्दिष्ट ऋणदाताओं से है:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, एनएचबी, एक्जिम बैंक, सिडबी और एनएबीएफआईडी), लघु वित्त बैंक; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)।

(9) "वैयक्तिक ऋण" ऋण एक्सपोजर को संदर्भित करता है जैसा कि भारिबैं के दिनांक 4 जनवरी 2018 के परिपत्र डीबीआर संख्या बी.पी.बीसी.99/08.13.100/2017-18 में परिभाषित किया गया है।

स्पष्टीकरण: एक ऋण को वैयक्तिक ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह उपरोक्त परिभाषा के दायरे में आता है, चाहे ऐसे ऋणों को किसी भी विनियामक/पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया हो।

(10) "संविभाग" का अर्थ है एक ही अंतरण समझौते के तहत एक समय में एक साथ अंतरित ऋण एक्सपोजर का एक सेट;

बशर्ते कि अंतरण समझौते जिसके तहत ऋण एक संविभाग के रूप में अंतरित किए जाते हैं, व्यक्तिगत ऋण एक्सपोजर के विवरण को सूचीबद्ध करेंगे जो एक संविभाग के रूप में अंतरित किए जाते हैं।



(11) "दबावग्रस्त ऋण" का अर्थ है ऋण एक्सपोज़र जिन्हें अनर्जक आस्ति(एनपीए) अथवा विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(12) "अंतरण का समय" का अर्थ है वह बिंदु जिस पर अंतरित आर्थिक हित की सीमा तक संबंधित जोखिम और प्रतिफल, जैसा कि ऋण भागीदारी, समनुदेशन, अथवा नवीनीकरण अनुबंध में प्रलेखित है, अंतरणकर्ता और अंतरिती पर बाध्यकारी हो जाते हैं।

(13) "अंतरण" का अर्थ है अंतरणकर्ता द्वारा अंतरिती (ओं) को ऋण एक्सपोज़र में आर्थिक हित का अंतरण, अंतर्निहित ऋण अनुबंध के अंतरण के साथ अथवा बिना, इन निदेशों के भाग ए में अनुमत तरीके से;

स्पष्टीकरण: परिणामतः, अंतरिती (ओं) को ऋण अंतरण के बाद ऋण एक्सपोज़र "अधिग्रहण" करना होगा।

(14) "अंतरिती" का अर्थ है वह इकाई जिसमें ऋण एक्सपोज़र में आर्थिक हित इन निदेशों के भाग ए के तहत अंतरित किया जाता है;

बशर्ते कि एक अंतरिती दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29ए के संदर्भ में अयोग्य व्यक्ति नहीं होगा;

बशर्ते कि जिन उधारकर्ताओं के खातों में किसी ऋणदाता द्वारा धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाया गया है, उनके ऋण एक्सपोज़र के अंतरण के मामले में, अंतरिती (ओं) न तो ऐसे उधारकर्ता के मौजूदा प्रवर्तक समूह से संबंधित होंगे और न ही ऐसे उधारकर्ता के मौजूदा प्रवर्तक समूह से संबंधित किसी भी व्यक्ति की सहायक / सहयोगी / संबंधित पार्टी आदि (घरेलू और विदेशी) होंगे।

स्पष्टीकरण I: बाजार की भाषा में, अंतरिती को वैकल्पिक रूप से समनुदेशन लेनदेन के तहत समनुदेशिती और ऋण भागीदारी के तहत भागीदार के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जहां भी लागू हो।

स्पष्टीकरण II: उपरोक्त दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए, 'प्रवर्तक समूह' शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 में है; और 'संबंधित पार्टी' शब्द का वही अर्थ होगा जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में है।

स्पष्टीकरण III: यह सत्यापित करने और स्थापित करने की जिम्मेदारी कि अंतरिती (ओं) उपरोक्त परंतुकों का अनुपालन करते हैं, अंतरणकर्ता (ओं) के पास होगी।



(15) "अंतरणकर्ता" का अर्थ है वह इकाई जो इन निदेशों के तहत ऋण एक्सपोज़र में आर्थिक हित को अंतरित करती है;

स्पष्टीकरण: बाजार की भाषा में, अंतरणकर्ता को वैकल्पिक रूप से समनुदेशन लेनदेन के तहत समनुदेशक और ऋण भागीदारी के तहत अनुदानकर्ता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जहां भी लागू हो



अध्याय II- सभी ऋण अंतरण के लिए लागू सामान्य शर्तें

सामान्य अपेक्षाएं

13. एआईएफआई इन दिशानिर्देशों के तहत ऋण एक्सपोजर के अंतरण और अधिग्रहण के लिए एक व्यापक बोर्ड अनुमोदित नीति लागू करेगा। इन दिशा-निर्देशों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, समुचित सावधानी, मूल्यांकन, आंकड़ों के संग्रह, भंडारण और प्रबंधन के लिए अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां, जोखिम प्रबंधन, आवधिक बोर्ड स्तर की निगरानी आदि से संबंधित न्यूनतम मात्रात्मक और गुणात्मक मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, नीति को ऋण शुरू करने में शामिल कर्मियों से ऋण के अंतरण/अधिग्रहण में शामिल इकाइयों और कर्मियों के कामकाज और रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। सभी लेनदेन को नीति में विस्तृत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
14. ऋण अंतरण के परिणामस्वरूप ऋण अनुबंध के अंतर्निहित नियमों और शर्तों में किसी भी परिवर्तन के बिना आर्थिक हित का अंतरण होना चाहिए। सभी मामलों में, यदि अंतरण के दौरान और बाद में ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन होता है (उदाहरण के लिए अंतरण वित्तपोषण में), तो भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – दबावग्रस्त आस्तियां का समाधान) निदेश, 2025 में परिभाषित पुनर्संरचना के विरुद्ध इसका मूल्यांकन किया जाएगा।
15. ऋण भागीदारी लेनदेन में, डिजाइन द्वारा, विधिक स्वामित्व पूरी तरह से अंतरणकर्ता के पास रहता है, भले ही आर्थिक हित को अंतरिती (ओं) को अंतरित कर दिया गया हो। ऐसे मामलों में, अंतरणकर्ता और अंतरिती (ओं) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से संविदात्मक रूप से अंकित किया जाएगा।
16. पैरा 12(4) में संदर्भित ऋणदाताओं, भले ही वह अंतरणकर्ता हों अथवा अन्यथा, ऋण अंतरण के मामले में किसी भी रूप में क्रेडिट वृद्धि या चलनिधि सुविधाओं का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए।
17. एक अंतरणकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – दबावग्रस्त आस्तियां का समाधान) निदेश, 2025 के तहत एक समाधान योजना के एक भाग के रूप में अथवा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत अनुमोदित समाधान योजना के भाग के अतिरिक्त, पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से ऋण एक्सपोजर को फिर से प्राप्त नहीं कर सकता है।
18. एक ऋण अंतरण के परिणामस्वरूप अंतरणकर्ता को अंतरित आर्थिक हित की सीमा तक ऋण से जुड़े जोखिमों और प्रतिफल से तत्काल अलग किया जाना चाहिए, ।



अंतरणकर्ता द्वारा एक्सपोजर में किसी भी धारित आर्थिक हित के मामले में, ऋण अंतरण समझौते को अंतरणकर्ता और अंतरिती (ओं) के बीच अंतरित ऋण से मूलधन और ब्याज आय के वितरण को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए। हालांकि, यह दोहराया जाता है कि अंतरणकर्ता द्वारा धारित आर्थिक हित के परिणामस्वरूप ऋण वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

19. अंतरिती (ओं) को अंतरित आर्थिक हित की सीमा तक किसी भी अवरोधक शर्त से मुक्त ऋणों को अंतरित करने अथवा अन्यथा निपटाने का अबाधित अधिकार होना चाहिए।

- (1) अंतरिती (ओं) के पास इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत को छोड़कर अंतरित आर्थिक हित से जुड़े किसी भी खर्च या नुकसान के लिए अंतरणकर्ता का कोई अवलंब नहीं होगा।
- (2) इसके अतिरिक्त, अंतरणकर्ता/ अंतरिती (ओं) को अंतरिती(ओं)/अंतरणकर्ता, जैसा भी मामला हो, से सहमति प्राप्त करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब संबंधित इकाई द्वारा धारित या अंतरित किए गए लाभकारी आर्थिक हित के संबंध में समाधान या वसूली की बात आती है।

20. अंतरणकर्ता के पास ऋणों या उसके किसी भी भाग के पुनर्भुगतान को फिर से प्राप्त करने या निधि देने अथवा अंतरिती(ओं) द्वारा रखे गए ऋणों को प्रतिस्थापित करने या अंतरिती (ओं) को किसी भी समय अतिरिक्त ऋण प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं होगा, बशर्ते उन ऋणों के जो अंतरण के समय किए गए वारंटी या अभ्यावेदन के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं।

अंतरणकर्ता को यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि इस आशय का एक नोटिस अंतरिती (ओं) को दिया गया है और अंतरिती (ओं) ने इस तरह के दायित्व की अनुपस्थिति को स्वीकार किया है।

21. जहां कहीं भी अंतरणकर्ता द्वारा अंतरिती (ओं) को लाभार्थियों के रूप में रखते हुए प्रतिभूति हित न्यास के रूप में धारित किया जाता है, वहां अंतरिती यह सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे प्रतिभूति हित को समय पर लागू करने के लिए एक परस्पर सहमत और बाध्यकारी क्रियाविधि उचित रूप से प्रलेखित एवं स्थापित किया गया है। ।

22. अंतरणकर्ता (ओं) द्वारा ऋणों का अंतरण अंतर्निहित उधारकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और उधारकर्ताओं (तीसरे पक्ष सहित) से सभी आवश्यक सहमति प्राप्त होनी चाहिए, जहां संबंधित अनुबंधों के अनुसार आवश्यक हो।



23. अंतरिती (ओं) को आस्तियों के अंतरण के बाद अनुमत अंतरिती (ओं) द्वारा किए गए अंतर्निहित समझौते की शर्तों का कोई भी पुनर्निर्धारण, पुनर्संरचना या पुनः समझौता भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - दबावग्रस्त आस्तियां का समाधान) निदेश, 2025 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
24. एक अंतरणकर्ता को भारिबैं (पर्यवेक्षण विभाग) को उन सभी उदाहरणों के बारे में सूचित करना चाहिए जहां उसने किसी अंतरिती को अंतरित ऋण को प्रतिस्थापित किया है अथवा किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी से उत्पन्न होने वाले नुकसान का भुगतान किया है।
25. घरेलू लेनदेन के लिए, अंतरिती (ओं) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा अर्जित ऋणों के संबंध में अंतरणकर्ता ने एमएचपी मानदंडों का सख्ती से पालन किया है, जैसा कि इन निदेशों के अध्याय III के भाग ए में निर्धारित किया गया है।
26. आउटसोर्सिंग पर मौजूदा निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 के लागू प्रावधानों का सभी मामलों में अनुपालन किया जाएगा।
27. उन एक्सपोज़र के संबंध में जो इन निदेशों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, अंतरिती (ओं) को प्राप्त वास्तविक एक्सपोज़र के बराबर पूंजीगत शुल्क बनाए रखना होगा। ऐसे मामलों में, अंतरणकर्ता अंतरित ऋण को पूरी तरह से मान्यता जारी रखेगा, जैसे कि इसे अंतरित नहीं किया गया था और प्राप्त प्रतिफल को अग्रिम के रूप में मान्यता दी जाएगी।
28. एआईएफआई द्वारा धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एआईएफआई पैरा 77 के अनुपालन में अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार अनुमत अंतरणकर्ताओं को इस तरह के एक्सपोज़र को अंतरित कर सकते हैं।

बी. सर्विसिंग सुविधा प्रदाता के रूप में अंतरणकर्ता

29. अंतरिती (ओं) अधिग्रहित एक्सपोज़र को प्रशासित या सर्विसिंग देने के लिए एक सर्विसिंग सुविधा प्रदाता को नियुक्त कर सकता है, जो अंतरणकर्ता भी हो सकता है, ।
30. यदि कोई एआईएफआई, जिसमें एक अंतरणकर्ता भी शामिल है, ऋण अंतरण होने के बाद अंतरिती (ओं) के लिए एक सर्विसिंग सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हैं:



- (1) सुविधा की प्रकृति, उद्देश्य, सीमा और निष्पादन के सभी आवश्यक मानकों को एक लिखित समझौते में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (2) यह सुविधा बाजार के नियमों और शर्तों के आधार पर स्वतंत्र संव्यवहार आधार' पर प्रदान की जाती है।
- (3) सर्विसिंग सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका से उत्पन्न होने वाले किसी भी शुल्क या अन्य आय का भुगतान इस तरह से स्थगित या छूट के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण वृद्धि या चलनिधि सुविधा प्रदान करेगा।
- (4) सुविधा की अवधि उन तिथियों की सबसे शुरुआती तारीखें तक सीमित है जिन पर:
 - (i) अंतर्निहित ऋण पूरी तरह से परिशोधित हैं;
 - (ii) अंतर्निहित ऋणों में अंतरिती (ओं) के आर्थिक हित से जुड़े सभी दावों का भुगतान किया जाता है; या
 - (iii) सर्विसिंग सुविधा प्रदाता के रूप में ऋणदाता के दायित्वों को अन्यथा समाप्त कर दिया जाता है।
- (5) ऋणदाता निश्चित संविदात्मक दायित्वों से परे कोई सहारा नहीं देना चाहिए।
- (6) अंतरिती (ओं) को सर्विसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक पार्टी का चयन करने का स्पष्ट अधिकार है।
- (7) एआईएफआई को तब तक अंतरिती (ओं) को धन भेजने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए जब तक कि उसे अंतर्निहित ऋणों से उत्पन्न धन प्राप्त न हो जाए।
- (8) एआईएफआई अंतरिती (ओं) की ओर से, अंतर्निहित ऋणों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह को विश्वास में रखेगा और अपने स्वयं के नकदी प्रवाह के साथ इन नकदी प्रवाहों के सह-मिश्रण से बचेगा।
बशर्ते कि यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो अंतरणकर्ता एआईएफआई अंतरित ऋणों पर पूंजी बनाए रखेगा जैसे कि जिन ऋणों के संबंध में सर्विसिंग सुविधा प्रदान की जा रही है, वह सीधे उसकी खाता-बही पर रखे गए हों।



अध्याय III- ऋणों का अंतरण जिनमे चूक नहीं है

ए.सामान्य अपेक्षाएं

31. इस अध्याय के प्रावधान इन पर लागू नहीं होते हैं:

- (1) कारोबार की लाइन से पूरी तरह से बाहर निकलने के निर्णय के परिणामस्वरूप ऋणों के पूरे संविभाग की बिक्री;
- (2) दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री; तथा
- (3) कोई अन्य व्यवस्था/लेनदेन, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है।

32. उपरोक्त पैरा 31 में विनिर्दिष्ट लेनदेन संबंधित विनियामक फ्रेमवर्क द्वारा अभिशासित होंगे। हालांकि, ऐसे सभी मामलों में इन निदेशों के अध्याय II के भाग ए के प्रावधान उन मामलों को छोड़कर लागू होते रहेंगे जहां संबंधित विनियामक फ्रेमवर्क अन्यथा प्रदान करता है।

33. एआईएफआई को यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी चाहिए कि अंतरण के समय और समुचित सावधानी अंतिम तारीख के बीच का अंतर न्यूनतम होना चाहिए और इस अध्याय के प्रावधानों के तहत चूक के रूप में कोई ऋण अंतरित नहीं किया जाना चाहिए।

34. एक अंतरणकर्ता एक एकल ऋण अथवा ऐसे ऋण का एक भाग अथवा ऐसे ऋण का एक संविभाग समनुदेशन या नवीनता या ऋण भागीदारी अनुबंध के माध्यम से अनुमत अंतरिती (ओं) को अंतरित कर सकता है।

35. ऐसे मामलों में जहां ऋण अंतरण के परिणामस्वरूप ऋण समझौते के तहत ऋणदाता के रिकॉर्ड में परिवर्तन होता है, अंतरणकर्ता और अंतरिती (ओं) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा ऋण समझौते में अंतर्निहित उधारकर्ता द्वारा सहमति सहित उपयुक्त सक्षम प्रावधान हैं जो आवश्यक सामान्य नियमों को निर्धारित करके ऐसे लेनदेन की अनुमति देते हैं।

36. अंतरित किए गए ऋणों में अंतरणकर्ता के आर्थिक हित, यदि कोई है, को विधिक रूप से वैध दस्तावेज द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित के बारे में एक विधिक राय, कम से कम, अंतरणकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर भी रखी जानी चाहिए:

- (1.) अंतरणकर्ता द्वारा धारित आर्थिक हित की राशि की विधिक वैधता;



(2.) अंतरणकर्ता, अंतरिती (ओं) को अंतरित की गई सीमा तक, ऋणों से जुड़े किसी भी जोखिम और प्रतिफल को बनाए नहीं रखता है;

(3.) अंतरणकर्ता और अंतरिती (ओं) के बीच प्रतिभूतिके प्रवर्तन के लिए संविदात्मक रूप से सहमत सहयोगात्मक कार्रवाई यदि कोई है, जिसमें वह परिदृश्य शामिल हैं जिनमें न्यासियों के लिए न्यासमें अंतरणकर्ता द्वारा प्रतिभूति हित रखा जाता है, के अतिरिक्त, यह व्यवस्था अंतरिती (ओं) के अधिकारों और अंतरित की गई सीमा तक, ऋणों से जुड़े प्रतिफलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, ; और

(4.) इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप अंतरणकर्ता, अंतरिती (ओं) का एजेंट, ट्रस्टी अथवा प्रत्ययी नहीं बन जाता है, सिवाय इसके कि:

(i) अंतरणकर्ता द्वारा प्रदान की गई सर्विसिंग सुविधाएं, यदि कोई हो, इस तरह के अंतरण के बाद, अंतरिती (ओं) के संबंध में नकदी प्रवाह के अधिकारों की सीमा तक; तथा

(ii) सहयोगात्मक कार्रवाई प्रतिभूति के प्रवर्तन के संबंध में अंतरणकर्ता और अंतरिती (ओं) के बीच संविदात्मक रूप से सहमत होती है, जिसमें ऐसे परिदृश्य शामिल हैं जिनमें अंतरणकर्ता द्वारा अंतरिती (ओं) के लिए न्यास में रखा जाता है।

37. अंतरित किए गए एक्सपोज़र और उनकी बही पर रखे गए या प्रतिधारित एक्सपोज़र के लिए अंतरणकर्ता द्वारा लागू क्रेडिट हामीदारी अंकन के मानदंडों में कोई अंतर नहीं होगा। इसके अनुमोदन के लिए समान प्रक्रियाएं और जहां सुसंगत हो, संशोधित, नवीनीकरण करना और विस्तारित ऋण सुविधाओं की निगरानी को अंतरणकर्ता द्वारा इसके द्वारा उत्पन्न सभी ऋण एक्सपोज़र के लिए लागू किया जाना चाहिए।

38. अंतरण केवल नकदी आधार पर होगा और प्रतिफल ऋण के अंतरण के समय के बाद प्राप्त नहीं किया जाएगा। इस पैरा के प्रावधान पैरा 18 के प्रावधानों के अवहेलना के बिना होंगे, जो धारित आर्थिक हित से संबंधित है।

(1) अंतरण विचार स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर एक पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

39. ऋणों के संबंध में समुचित सावधानी को अंतरिती (ओं) द्वारा आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है और इसे अपने स्वयं के कर्मचारियों द्वारा उसी दृढ़ता के साथ और उसी नीतियों के अनुसार किया जाना चाहिए जो किसी भी ऋण की उत्पत्ति के लिए किया गया था।



40. उपरोक्त समुचित सावधानी आवश्यकताएं प्रत्येक ऋण के स्तर पर लागू होंगी। संविभाग के रूप में अधिग्रहित ऋणों के मामले में, यदि कोई अंतरिती पूरे संविभाग के लिए वैयक्तिक ऋण स्तर पर समुचित सावधानी करने में असमर्थ है, लेकिन संविभाग में ऋणों की संख्या और मूल्य के आधार पर संविभाग के कम से कम एक तिहाई के लिए वैयक्तिक ऋण स्तर पर समुचित सावधानी कर सकता है, तो शेष के लिए संविभाग स्तर पर समुचित सावधानी की जा सकती है और अंतरणकर्ता को अंतरित ऋणों में आर्थिक हित का कम से कम 10 प्रतिशत धारित करना होगा।

स्पष्टीकरण 1: यदि किसी अंतरण में कई अंतरिती शामिल हैं, तो अंतरणकर्ता द्वारा न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता, यदि कोई भी अंतरिती वैयक्तिक ऋण स्तर पर समुचित सावधानी करने में असमर्थ है, तो अंतरित ऋणों की पूरी राशि पर होगा, जिसमें अंतरिती (ओं) को अंतरित किए गए भाग भी शामिल हैं जिनमें अंतरिती वैयक्तिक ऋण स्तर पर समुचित सावधानी करने में सक्षम हैं।

स्पष्टीकरण 2: पैरा 40 में किया गया प्रावधान केवल उन ऋणों के अंतरण की सुविधा के लिए है, जहां परिचालन अथवा अन्य बाधाओं के कारण, अंतरिती ऋण स्तर पर समुचित सावधानी नहीं करता है। यह वैयक्तिक ऋण स्तर पर विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने के लिए पैरा 50 के तहत आवश्यकता के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बगैर है।

41. एआईएफआई समय-समय पर दबाव परीक्षण और संवेदनशीलता विश्लेषण के द्वारा प्राप्त ऋणों के बारे में निरंतर आधार पर और समयबद्ध तरीके से निष्पादन की जानकारी की निगरानी करे, और यदि आवश्यक है, तो समुचित कार्रवाई करें। इस कार्रवाई में, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ प्रकार की आस्ति वर्गों के संबंध में एक्सपोजर सीमा में संशोधन, अंतरणकर्ता पर लागू अधिकतम सीमा में परिवर्तन आदि शामिल हो सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए, अंतरिती (ओं) को औपचारिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए जो प्राप्त ऋणों के जोखिम प्रोफाइल के अनुपात में और अनुरूप हों। इस तरह की प्रक्रियाएं उतनी ही दृढ़ होनी चाहिए जितनी कि उनके द्वारा सीधे उत्पन्न समान ऋणों के पोर्टफोलियो के लिए उनके द्वारा अपनाई जाती हैं। इन प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित जानकारी, यदि एआईएफआई द्वारा सीधे एकत्र नहीं की जाती है और सर्विसिंग सुविधा एजेंट, यदि कोई हो, से प्राप्त की जाती है, तो सर्विसिंग सुविधा एजेंट के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

42. संविभाग के आकार के आधार पर, क्रेडिट निगरानी प्रक्रियाओं में सर्विसिंग सुविधा एजेंट के समवर्ती और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन शामिल हो सकता है।



- (1) सर्विसिंग सुविधा समझौते में अंतरिती (ओं) (और जहां भी लागू हो, अंतरणकर्ता) के लेखापरीक्षकों द्वारा इस तरह के सत्यापन के लिए प्रदान किया जाना चाहिए ।
- (2) सभी सुसंगत सूचना और लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षकों द्वारा अंतरिती (ओं) और अंतरणकर्ता के पर्यवेक्षण के दौरान सत्यापन के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

बी.न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी)

43. अंतरणकर्ता केवल न्यूनतम धारित अवधि (एमएचपी) के बाद ऋण अंतरित कर सकता है, जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है, जिसे भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री(सीईआरएसएआई) के साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित के पंजीकरण की तारीख से गिना जाता है:

- (1) तीन महीने, 2 वर्ष तक की अवधि वाले ऋण के मामले में;
- (2) छह महीने, 2 वर्ष से अधिक की अवधि वाले ऋण के मामले में ।

बशर्ते कि उन ऋणों के मामले में जहां प्रतिभूति मौजूद नहीं है या प्रतिभूति को सीईआरएसएआई के साथ पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, एमएचपी की गणना ऋण के पहले पुनर्भुगतान की तारीख से की जाएगी।

बशर्ते कि परियोजना ऋणों के अंतरण के मामले में, एमएचपी की गणना वित्तपोषित की जा रही परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के शुरू होने की तारीख से की जाएगी।

बशर्ते कि एक अंतरणकर्ता द्वारा अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के मामले में, ऐसे ऋणों को उस तारीख से छह महीने पूरा होने से पहले अंतरित नहीं किया जा सकता है जिस पर ऋण अंतरणकर्ता की लेखा में लिया गया था।

बशर्ते कि फैक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 के तहत परिभाषित 'फैक्टरिंग कारोबार' के भाग के रूप में अधिग्रहित प्राप्तियों के अंतरण को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन उपरोक्त विनिर्दिष्ट एमएचपी आवश्यकता से छूट दी जाएगी:

- (1) अंतरण के समय ऐसी प्राप्तियों की अवशिष्ट(रेशिड्युअल) परिपक्वता 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए, और
- (2) जैसा कि इन निदेशों के पैरा 13 और 39 के तहत विनिर्दिष्ट है , अंतरिती ऐसी प्राप्तियों को प्राप्त करने से पहले, बिल के अदाकर्ता का उचित क्रेडिट मूल्यांकन करता है



44. उपरोक्त एमएचपी आवश्यकता एक सिंडिकेशन व्यवस्था के तहत अन्य ऋणदाताओं को अरेंजर एआईएफआई द्वारा अंतरित ऋणों पर लागू नहीं होती है।

सी. पूंजी पर्याप्तता और अन्य विवेकपूर्ण मानदंड

45. ऋणों के अंतरण के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि अथवा लाभ, जो प्राप्त होता है, को तदनुसार लेखा में लिया जाना चाहिए और उस लेखा अवधि के लिए अंतरणकर्ता के लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाना चाहिए, जिसके दौरान अंतरण पूरा हो गया है। हालांकि, इस तरह के अंतरण से उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ, यदि कोई है, को ऐसे ऋणों की परिपक्वता तक विनियामक पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीईटी 1 पूंजी से काट लिया जाएगा।
46. ऋणों के पूल के अंतरण के मामले में, अंतरिती (ओं) और अंतरणकर्ता (ओं) (धारित आर्थिक हित के मामले में) को उधारकर्ता-वार खातों को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार, अंतरणकर्ता (ओं) और अंतरिती (ओं) का एक्सपोजर ऋणों के एक पूल में वैयक्तिक बाध्यताधारी के लिए होगा।
47. इस तरह के अंतरण के बाद अंतरणकर्ता और अंतरिती (ओं) द्वारा धारित आर्थिक हित के संबंध में प्राप्त ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता उपाय, ऋणदाता द्वारा सीधे उत्पन्न ऋणों पर लागू अनुदेशों के अनुसार होगा।
48. अंतरिती (ओं) को प्राप्त करने से पहले ऋणों के पूल को बाहरी रूप से रेट किया जा सकता है ताकि उनके स्वयं के समुचित सावधानी के अतिरिक्त पूल की क्रेडिट गुणवत्ता का एक तृतीय-पक्ष दृष्टिकोण हो सके। हालांकि, इस तरह की बाहरी रेटिंग अंतरिती (ओं) के समुचित सावधानी के बाद की जाएगी और इस तरह की रेटिंग समुचित सावधानी के लिए प्रतिस्थापित नहीं हो सकती है जो अंतरिती (ओं) को करने की आवश्यकता है।
49. अंतरिती (ओं), साथ ही अंतरणकर्ता (ओं) को मौजूदा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के साथ-साथ एक्सपोजर मानदंडों को सभी मामलों में वैयक्तिक दायित्व के आधार पर मौजूदा आर्थिक हित की सीमा तक लागू करना होगा।
50. अधिग्रहित ऋणों के पूल के मामले में, अंतरिती (ओं) को वैयक्तिक बाध्यकारी आधार पर सुसंगत विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए क्रियाविधि स्थापित करना चाहिए। इस तरह की क्रियाविधि में सर्विसिंग सुविधा प्रदाता से प्राप्त विवरणों पर भरोसा करना भी शामिल हो सकता है। हालांकि, इस तरह की क्रियाविधि में अंतरिती (ओं) के समवर्ती लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा पर्याप्त जांच के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। सभी सुसंगत



सूचना और लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षकों द्वारा अंतरिती (ओं) के पर्यवेक्षण के दौरान सत्यापन के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

51. अनुमत अंतरिती (ओं) के लिए, अधिग्रहित ऋणों को अधिग्रहण लागत पर ले जाया जाएगा जब तक कि यह अंतरण के समय शेष मूलधन से अधिक न हो, इस मामले में भुगतान किए गए प्रीमियम को सीधी रेखा पद्धति अथवा प्रभावी ब्याज दर विधि के आधार पर परिशोधित किया जाना चाहिए, जैसा कि वैयक्तिक अनुमत अंतरिती द्वारा उचित माना जाता है। हालांकि, बकाया/अपरिशोधित प्रीमियम को पूंजी से कटौती की आवश्यकता नहीं है।

52. ऐसे मामलों में जहां एक अंतरणकर्ता अंतरित ऋणों के संबंध में अभ्यावेदन और वारंटी देता है, अंतरणकर्ता को ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी के विरुद्ध पूंजी रखने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

- (1) कोई भी प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी केवल औपचारिक लिखित करार द्वारा प्रदान की जाती है;
- (2) प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी तथ्यों की मौजूदा स्थिति को संदर्भित करती है जो ऋण अंतरित होने के समय अंतरणकर्ता द्वारा सत्यापित करने में सक्षम है;
- (3) प्रतिनिधित्व या वारंटी असीमित अवधि वाली नहीं है और विशेष रूप से, ऋणों/अंतर्निहित उधारकर्ताओं की भविष्य की ऋण-पात्रता से संबंधित नहीं है;
- (4) प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी का प्रयोग, यदि कोई हो, तो एक अंतरणकर्ता को प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी में शामिल आधार पर अंतरित किए गए ऋण (अथवा उसके किसी भी भाग) को बदलने की आवश्यकता होती है, होना चाहिए:

(i) ऋण के अंतरण के 30 दिनों के भीतर किया गया; तथा

(ii) मूल अंतरण के समान नियमों और शर्तों पर संचालन।

बशर्ते कि इस तरह के प्रतिस्थापन पर, अंतरणकर्ता आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों को लागू करेगा जैसे कि पुनर्प्राप्त एक्सपोज़र को पहले स्थान पर स्थानांतरित ही नहीं किया गया था।

(5) एक अंतरणकर्ता जिसे प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी के उल्लंघन के लिए हर्जाने का भुगतान करना आवश्यक है, वह ऐसा कर सकता है बशर्ते हर्जाने का भुगतान करने का करार निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

(i) प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी के उल्लंघन के लिए सबूत का दायित्व प्रत्येक समय पार्टी के साथ रहती है, जो आरोप लगाती है;



- (ii) उल्लंघन का आरोप लगाने वाली पार्टी अंतरणकर्ता पर दावे की लिखित सूचना देती है, जिसमें दावे का आधार विनिर्दिष्ट किया जाता है; तथा
- (iii) नुकसान उल्लंघन के परिणामस्वरूप सीधे होने वाले नुकसान तक सीमित है।



अध्याय IV- दबावग्रस्त ऋणों का अंतरण

ए. सामान्य आवश्यकताएं

53. इस अध्याय में दिए गए अनुदेशों में दबाव ऋणों सहित एआरसी के अंतरण को शामिल किया जाएगा।

54. दबावग्रस्त ऋणों का अंतरण केवल समनुदेशन अथवा नवीनीकरण द्वारा किया जाना चाहिए; दबावग्रस्त ऋणों के मामले में ऋण भागीदारी की अनुमति नहीं है।

55. बोर्ड ने ऋण के अंतरण और/अथवा अधिग्रहण पर एआईएफआई की नीतियों को मंजूरी दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे:

- (1) ऐसे ऋणों के अंतरण अथवा अधिग्रहण के लिए मानदंड और प्रक्रिया;
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन पद्धति का पालन किया जाना चाहिए कि दबावग्रस्त ऋणों का वसूली योग्य मूल्य, जिसमें अंतर्निहित प्रतिभूति ब्याज की प्राप्ति भी शामिल है, यदि उपलब्ध है, उचित रूप से अनुमानित है;
- (3) ऋणों के अंतरण या अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- (4) दबावग्रस्त आस्तियों के अधिग्रहण के लिए स्वीकृत उद्देश्य;
- (5) पैरा 71 के प्रयोजन के लिए लागू किए जाने वाले जोखिम प्रीमियम; आदि।

56. दबावग्रस्त ऋण अंतरण न की जानेवाली संबंधी नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगी:

- (1) अंतरण के लिए विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक दबावग्रस्त ऋणों की पहचान करने की प्रक्रिया, जैसा कि एआईएफआई की नीति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण का पालन करेगा, अर्थात्, एआईएफआई का प्रधान कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय अंतरण के लिए दबावग्रस्त ऋणों की पहचान में सक्रिय रूप से शामिल होगा;
- (2) कम से कम, बोर्ड/बोर्ड समिति द्वारा तय की गई प्रारंभिक राशि से अधिक एनपीए के रूप में वर्गीकृत सभी ऋणों की समय-समय पर बोर्ड/बोर्ड समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी और दस्तावेजी युक्तिकरण के साथ, अंतरण या अन्यथा पर विचार किया जाएगा। अंतरण के लिए पहचाने गए ऋणों को अंतरण के उद्देश्य से सूचीबद्ध किया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।



57. अंतरणकर्ताओं के पास अंतरित किए जाने वाले प्रस्तावित ऋण एक्सपोज़रों के मूल्यांकन के संबंध में स्पष्ट नीतियां होनी चाहिए। आधार अथवा परिप्रेक्ष्य जो उपयोग किए गए मूल्यांकन के प्रकार को निर्धारित करेगा - आंतरिक या बाहरी - नीति में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

आंतरिक मूल्यांकन अभ्यास में अंतरणकर्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली छूट दर को भी पॉलिसी में वर्णित किया जाएगा। यह या तो इक्विटी की लागत या निधियों की औसत लागत या अवसर लागत या कुछ अन्य सुसंगत दर हो सकती है, जो संविदा ब्याज दर के स्तर के अधीन है। हालांकि, यदि क्रेडिट एक्सपोज़र (प्रावधानों के नेटिंग के बिना) अंतरित किया जा रहा है, तो एकल, संयुक्त अथवा अलग-अलग 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, तो अंतरणकर्ता को दो बाहरी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी। मूल्यांकन अभ्यास की लागत, बाहरी या अन्य अंतरणकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

58. सामान्यतः, एआईएफआई द्विपक्षीय बिक्री द्वारा दबावग्रस्त ऋणों को केवल अनुमत अंतरणकर्ताओं और एआरसी को अंतरित करेगा।

59. अंतरण का तरीका अंतरणकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होना चाहिए। एआईएफआई अपने ऋणों के अंतरण के लिए जहां भी उपलब्ध हो, ई-नीलामी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं।

60. तथापि, जब द्विपक्षीय आधार पर समझौता किया जाता है, तो इस तरह के समझौते के बाद स्विस चैलेंज पद्धति के माध्यम से नीलामी अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए यदि ऋणदाताओं का ऋण अंतरित किए जा रहे उधारकर्ताओं को ऋणदाताओं का कुल एक्सपोज़र (निवेश एक्सपोज़र सहित) 100 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक है। अन्य सभी मामलों में, द्विपक्षीय वार्ता पैरा 55 में वर्णित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के भाग के रूप में अंतरणकर्ता द्वारा अपनाए गए मूल्य खोज और मूल्य अधिकतमकरण दृष्टिकोण के अधीन होगी, जिसमें स्विस चैलेंज विधि भी शामिल हो सकती है। स्विस चैलेंज पद्धति के लिए पालन किए जाने वाले व्यापक दिशा-निर्देश पैर 88 से 91 में दिए गए हैं।

बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – दबावग्रस्त आस्तियां का समाधान) निदेश, 2025 के तहत एक समाधान योजना के रूप में किए गए दबावग्रस्त ऋणों के अंतरण के मामले में, इंटरक्रेडिटर करार(आईसीए) के हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुमोदन के साथ, जो कुल बकाया ऋण सुविधाओं (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) के मूल्य से 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर हस्ताक्षरकर्ताओं के 60 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, आईसीए के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को



दबावग्रस्त ऋण एक्सपोज़र से बाहर निकालने के लिए, उपरोक्त जोखिम सीमा के बावजूद स्विस चैलेंज विधि अनिवार्य होगी।

61. अंतरणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि दबावग्रस्त ऋणों के अंतरण के बाद, वह अंतरित ऋणों से संबंधित किसी भी परिचालन, विधिक अथवा किसी अन्य प्रकार के जोखिम को नहीं अभिगृहीत हैं, जिसमें अंतरित ऋण के संदर्भ में उधारकर्ता/अंतरिती (ओं) के लिए अतिरिक्त धन या प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। इसके बाद, संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंतरणकर्ता की नीति में निर्धारित कूलिंग अवधि के बाद उधारकर्ता पर नया एक्सपोज़र लिया जा सकता है, जो किसी भी स्थिति में, इस तरह के अंतरण की तारीख से 12 महीने से कम नहीं होगा।
62. पैरा 58 से 61 में शर्तों के बावजूद, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – दबावग्रस्त आस्तियां का समाधान) निदेश, 2025 के तहत समाधान योजना के रूप में दबावग्रस्त ऋणों का अंतरण किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पैरा 12(4) में विनिर्दिष्ट सभी ऋणदाता दबावग्रस्त ऋण एक्सपोज़र से बाहर होते हैं, ऐसी संस्थाओं के किसी भी वर्ग को इस तरह के अंतरण की अनुमति है, कारपोरेट इकाई सहित जिसे सांविधिक प्रावधान के संदर्भ में अथवा वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा जारी विनियमों के तहत ऋण एक्सपोज़र लेने की अनुमति है।

- (1) स्पष्टीकरण: जिन संस्थाओं को ऋणदाताओं को दबावग्रस्त ऋण एक्सपोज़र को अंतरित करने की अनुमति दी जाती है, उनमें (ए) स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं; (बी) एआईएफआई, (सी) एचएफसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सहित; (डी) सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एआरसी; (ई) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (20) में परिभाषित कंपनी, जैसा कि एक वित्तीय सेवा प्रदाता के अतिरिक्त दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 की उप-धारा (17) में परिभाषित किया गया है। ऐसी कंपनियों द्वारा ऋण एक्सपोज़र का अधिग्रहण कंपनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन होगा।
- (2) संबंधित वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा संस्थाओं के किसी भी नए वर्ग की अनुमति दिए जाने पर संस्थाओं की श्रेणियों को अद्यतन किया जाएगा।
- (3) यदि ऐसे अंतरिती न तो एआरसी और न ही अनुमत अंतरिती हैं, तो अंतरण अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:



- (i) अंतरिती इकाई को भारत में निगमित किया जाना चाहिए अथवा भारत में वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- (ii) इस तरह के अंतरण के समय किसी भी ऋण देने वाली संस्था द्वारा अंतरिती को अनर्जक खाते (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए;
- (iii) अंतरणकर्ता(ओं) को पैरा 12 (4) में विनिर्दिष्ट उधारदाताओं से ऋण के माध्यम से ऋण अधिग्रहण को निधि नहीं देनी चाहिए।
- (iv) पैरा 12 (4) में विनिर्दिष्ट ऋणदाताओं को कार्यशील पूंजी सुविधाओं (जो सावधि ऋण की प्रकृति के नहीं हैं) के अतिरिक्त किसी भी ऋण/निवेश एक्सपोजर को उस उधारकर्ता को नहीं लेना चाहिए, जिसका ऋण खाता इस तरह के अंतरण की तारीख से कम से कम तीन साल तक अंतरित किया गया है।
- बशर्ते* कि कार्यशील पूंजी सुविधाएं उन एआईएफआई द्वारा स्वीकृत की जाती हैं जो अंतरणकर्ता नहीं हैं।
- (v) इसके अतिरिक्त, इस तरह के अंतरण की तारीख से कम से कम तीन वर्षों के लिए, पैरा 12(4) में विनिर्दिष्ट ऋणदाताओं को उधारकर्ता के संचालन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तैनाती के लिए अंतरिती (ओं) को कोई क्रेडिट/निवेश एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, उधारकर्ता का अर्थ उन विधिक संस्थाओं से होगा जिनके लिए अंतरणकर्ता (ओं) के पास एक्सपोजर था जिसे समाधान(रेजल्यूशन) योजना के एक भाग के रूप में अंतरिती (ओं) को अंतरित कर दिया गया था, और इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष प्रयोजन माध्यम तक सीमित नहीं है, जिसमें एक परियोजना के लिए विधिक-इकाई का दर्जा स्थापित किया गया है।

स्पष्टीकरण: इस पैरा में उल्लिखित अपने सांविधिक अथवा विनियामक ढांचे द्वारा ऋण एक्सपोजर लेने की अनुमति दी गई इकाई को ऋण एक्सपोजर लेने के लिए अपने विनियामक अथवा सांविधिक ढांचे द्वारा अलग से सक्षम होना होगा, और फिर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संस्थाओं की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उपरोक्त पैरा केवल ऋणदाता को समाधान(रेजल्यूशन) योजना के तहत ऋण भुगतान किए गए ऋणों को ऐसी संस्थाओं को अंतरित



करने की अनुमति देता है जिन्हें पहले से ही ऋण एक्सपोजर लेने की अनुमति है। संबंधित वित्तीय क्षेत्र के विनियामक भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से इस उद्देश्य के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे।

63. अंतरणकर्ता को संभावित अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा समुचित सावधानी के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए, जो ऋण के आकार के अनुसार भिन्न हो सकता है।

64. ऋण अंतरण करार में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था- दबावग्रस्त आस्तियां का समाधान) निदेश, 2025 के संदर्भ में आईसीए पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, तो अंतरिती आवश्यकता पड़ने पर आईसीए पर हस्ताक्षर करेगा।

65. अंतरणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि दबावग्रस्त ऋण का कोई अंतरण आकस्मिक मूल्य पर नहीं किया जाता है, जिससे सहमत मूल्य की प्राप्ति में कमी की स्थिति में, अंतरणकर्ता (ओं) को कमी का एक भाग वहन करना होगा।

66. अंतरणकर्ता केवल नकद आधार पर एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरणकर्ता को दबावग्रस्त ऋणों को अंतरित करेगा। संपूर्ण अंतरण पर ऋण के अंतरण के समय उपरांत प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए और ऋण को केवल संपूर्ण अंतरण हेतु प्राप्त होने पर ही अंतरणकर्ता की बही से बाहर निकाला जा सकता है। यदि एआरसी के अतिरिक्त अन्य अंतरणकर्ता को अंतरण समय, शुद्ध एनबीवी से नीचे की कीमत पर है, तो कमी को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाएगा जिसमें अंतरण हुआ है। यदि बिक्री प्रतिफल अंतरण के समय एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए है, तो अतिरिक्त प्रावधानों को प्रतिवर्ती दिया जा सकता है।

67. एआईएफआई को संविभाग के आधार पर प्राप्त दबावग्रस्त ऋणों के एक पूल को अपनी बही में एकल आस्ति के रूप में मानने की अनुमति है, बशर्ते कि पूल में एक सा वैयक्तिक ऋण शामिल हों। समरूपता का मूल्यांकन सामान्य जोखिम चालकों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें समान जोखिम कारक और जोखिम प्रोफाइल शामिल हैं। अन्य सभी मामलों में, अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋणों को विवेकपूर्ण आवश्यकताओं जैसे आस्ति वर्गीकरण, पूंजी गणना, आय पहचान आदि के उद्देश्य से भिन्न आस्तियों के रूप में माना जाएगा।



स्पष्टीकरण: यदि अधिग्रहित किए गए समान वैयक्तिक ऋणों के संविभाग को अंतरणकर्ता द्वारा एकल आस्ति के रूप में माना जाता है, तो संविभाग को पैरा 71 के प्रयोजन के लिए एकल आस्ति के रूप में भी माना जाएगा।

68. अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग दायित्व, यदि कोई हो, तो अंतरणकर्ता (ओं) के पास होगा, यदि इसके उपरान्त एक क्रेडिट संस्थान है जैसा कि प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी(विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उप-धारा (एफ) में परिभाषित किया गया है।

69. यदि एआरसी के अतिरिक्त अंतरिती (ओं) के पास उस उधारकर्ता के लिए कोई मौजूदा एक्सपोज़र नहीं है, जिसका दबावग्रस्त ऋण खाता अधिग्रहित किया गया है, तो अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋण को अंतरणकर्ता (ओं) द्वारा "मानक" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके बाद, अधिग्रहित ऋण की आस्ति वर्गीकरण स्थिति, ऋण अंतरण के समय अनुमानित नकदी प्रवाह के संदर्भ में अंतरणकर्ता (ओं) की बही में वसूली के रिकॉर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

70. यदि एआरसी को छोड़कर अंतरिती (ओं) के पास उस उधारकर्ता के लिए मौजूदा एक्सपोज़र है जिसका दबावग्रस्त ऋण खाता लिया गया है, तो अधिग्रहित एक्सपोज़र का आस्ति वर्गीकरण उधारकर्ता के साथ उधारकर्ता के मौजूदा आस्ति वर्गीकरण के समान होगा। यह उपाय तब भी लागू होगा जब इस तरह का अधिग्रहण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत एक सफल समाधान(रेजल्यूशन) आवेदक होने के कारण अंतरणकर्ता के अनुसरण में हो।

71. दबावग्रस्त ऋण प्राप्त करने वाले एआईएफआई को अधिग्रहण के समय अपनी बही में आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार ऐसे ऋणों के लिए प्रावधान करना होगा। आस्ति वर्गीकरण के बावजूद, यदि ऋण प्राप्त करते समय अनुमानित नकदी प्रवाह का निवल वर्तमान मूल्य ऋण प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल से कम है, तो प्रावधान अंतर की सीमा तक बनाए रखा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, छूट कारक मूल ऋण अनुबंध के अनुसार उधारकर्ता को ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दर होगी और अंतरणकर्ता की बही पर ऋण के आस्ति वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए अंतरिती बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाने वाला जोखिम प्रीमियम होगा। जोखिम प्रीमियम 3 प्रतिशत की सीमा के अधीन होगा।

72. एआरसी के मामले में, इसके द्वारा अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋणों का आस्ति वर्गीकरण और बनाए रखे जाने वाले संबद्ध प्रावधानों को इस संबंध में उन पर लागू मौजूदा अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जाना जारी रहेगा।



73. एआईएफआई अन्य ऋणदाताओं को अंतरित करने से पहले कम से कम छह महीने की अवधि के लिए अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋणों को अपनी बही में रखेगा। इसके अतिरिक्त, एआईएफआई को आमतौर पर उन ऋणों को प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है जिन्हें पिछले छह महीनों में अन्य ऋणदाताओं द्वारा दबावग्रस्त ऋण के रूप में अंतरित किया गया था।

बशर्ते कि यह पैरा लागू नहीं होगा यदि दबावग्रस्त ऋण का अंतरण एक एआरसी को है अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – दबावग्रस्त आस्तियां का समाधान) निदेश, 2025 के तहत एक समाधान योजना के रूप में किया जाता है, जिसमें आईसीए के हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुमोदन के साथ कुल बकाया ऋण सुविधाओं (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) के मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और निर्गम के लिए दबावग्रस्त ऋण एक्सपोज़र से आईसीए के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या के अनुसार 60 प्रतिशत हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

बी. एनपीए के अंतरण के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं

74. अंतरणकर्ता अन्य ऋणदाताओं को अंतरिती एनपीए के संबंध में मौजूदा निदेशों के अनुसार स्टाफ की जवाबदेही पहलुओं को आगे बढ़ाना जारी रखेगा।

75. अन्य ऋणदाताओं से प्राप्त एनपीए के संबंध में, ऐसी आस्ति रखने से अंतरिती द्वारा प्राप्त नकदी प्रवाह का उपयोग पहले ऋण के संबंध में अंतरिती की बही में वित्त पोषित बकाया के परिशोधन के लिए किया जाएगा जब तक कि अधिग्रहण लागत वसूल नहीं हो जाती। अधिग्रहण लागत से अधिक नकदी प्रवाह, यदि कोई हो, को लाभ के रूप में पहचाना जा सकता है।

76. एआईएफआई अन्य ऋणदाताओं से प्राप्त एनपीए को 100% जोखिम भार देगा, जब तक कि अधिग्रहण पर ऋण को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो एनपीए पर लागू जोखिम भार लागू होगा।

सी. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को ऋण का अंतरण

77. भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों) निदेश, 2025 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी दबावग्रस्त ऋण जो अंतरणकर्ताओं की बही के चूक में हैं, उन्हें एआरसी को अंतरिती करने की अनुमति है। इसमें अंतरण की तारीख को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत ऋण एक्सपोज़र शामिल होंगे, बशर्ते कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निरंतर रिपोर्टिंग, निगरानी, शिकायतों को दर्ज करने और ऐसी शिकायतों से संबंधित कार्यवाही के संबंध में अंतरणकर्ता की जिम्मेदारियों को भी एआरसी को अंतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, एआरसी को इस तरह के ऋण एक्सपोज़र का अंतरण, अंतरणकर्ता को



धोखाधड़ी पर मौजूदा निदेशों के तहत आवश्यक स्टाफ की जवाबदेही तय करने से दोषमुक्त नहीं करता है।

78. विशिष्ट दबावग्रस्त ऋणों के मामले में, जहां यह आवश्यक समझा जाता है, अंतरणकर्ता (ओं) संबंधित दबावग्रस्त ऋण से एआरसी द्वारा प्राप्त किसी भी अधिशेष को सहमत अनुपात में साझा करने के लिए एआरसी के साथ समझौता के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसे मामलों में, अंतरण की शर्तों में ऋण से प्राप्त मूल्य पर एआरसी से अंतरणकर्ता(ओं) को एक रिपोर्ट प्रदान करनी चाहिए। अंतरणकर्ता (ओं) को लाभ के लिए तब तक लेखा नहीं होगा जब तक कि यह कार्यान्वित न हो जाए।

79. जब अंतरण के समय दबावग्रस्त ऋण को एनबीवी से नीचे की कीमत पर एआरसी को अंतरित किया जाता है, तो एआईएफआई उस वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में कमी को नामे करेगा जिसमें अंतरण हुआ है। बैंक को दबावग्रस्त ऋण के अंतरण पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया अथवा अस्थायी प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति है, जब अंतरण एनबीवी से नीचे की कीमत पर होता है।

80. दूसरी ओर, जब दबावग्रस्त ऋण को अंतरण के समय एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए एआरसी को अंतरित किया जाता है, तो एआईएफआई उस वर्ष में लाभ और हानि खाते में अंतरण पर अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिवर्ती कर देगा जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है और केवल तभी जब प्रारंभिक प्रतिफल और/अथवा मोचन अथवा प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी)/जारी की गई अन्य प्रतिभूतियों के अंतरण के माध्यम से प्राप्त नकदी की राशि एआरसी द्वारा अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है। इसके अतिरिक्त, इस तरह का प्रतिवर्तन उस सीमा तक सीमित होगा जिस तक प्राप्त नकदी अंतरण के समय ऋण के एनबीवी से अधिक है।

(1) पैरा 80 में निहित प्रावधानों के बावजूद, एआईएफआई अंतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में पूरे अतिरिक्त प्रावधान [अर्थात् बिक्री प्रतिफल (-) एनबीवी] को प्रतिवर्ती कर सकता है यदि बिक्री प्रतिफल में केवल भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत नकद और एसआर शामिल हैं।

बशर्ते कि, अतिरिक्त प्रावधान का गैर-नकद घटक [अर्थात् अंतरण के समय प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान (-) नकद] सीईटी 1 पूंजी से काट लिया जाएगा, और इस घटक से कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा।



81. एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में ऋणदाताओं द्वारा निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा, जो ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर होगा।

बशर्ते कि जब अंतरणकर्ता एआरसी को उनके द्वारा अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में निवेश करते हैं, तो अंतरणकर्ता अपनी बही में निवेश को निरंतर आधार पर रखेंगे, जब तक कि इसका अंतरण अथवा प्राप्ति नहीं हो जाती, एसआर के मोचन मूल्य से कम पर उपरोक्त एनएवी के आधार पर, और अंतरण के समय अंतरित दबावग्रस्त ऋण का एनबीवी।

82. यदि अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित ऋणों पर जारी किए गए एसआर में निवेश अंतरित संपत्ति पर जारी किए गए सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो अंतरणकर्ता की बही पर एसआर का मूल्यांकन निम्नलिखित में से कम होगा:

- (1) पैरा 81 के संदर्भ में प्राप्त मूल्य; और
- (2) एसआर का अंकित मूल्य लागू होने वाली कल्पित प्रावधान दर से कम हो जाता है यदि ऋण अंतरणकर्ता की बही पर जारी रहता है।

बशर्ते कि एआईएफआई की बही में 24 सितंबर, 2021 तक बकाया एसआर में निवेश के मूल्यांकन के संबंध में, निम्नलिखित उपाय लागू होगा:

- (i) इन निदेशों को जारी होने की तारीख के बाद अगली वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, इस खंड के संदर्भ में ऐसे एसआर के रखाव मूल्य और मूल्यांकन के बीच का अंतर 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि में प्रदान किया जा सकता है – अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक।
- (ii) हालांकि, ऐसे एसआर में निवेश का निरंतर आधार पर मूल्यांकन इन निदेशों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।
- (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एआईएफआई, बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना तैयार करेंगे कि उपर्युक्त उपखंड (ए) के अनुपालन में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया गया प्रावधान इस आधार पर अपेक्षित प्रावधान के पांचवें भाग से कम नहीं है।
- (iv) इन निदेशों के जारी होने के बाद सभी ऋणदाताओं द्वारा एसआर में किए गए निवेश का मूल्यांकन इन निदेशों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।



83. (1) पैरा 82 में निहित प्रावधानों या पैरा 81 के परंतुक के बावजूद, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन समय-समय पर ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा।

(2) हालांकि, ऐसे निवेशों के उचित मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त किसी भी अप्राप्त लाभ को सीईटी 1 पूंजी से काट लिया जाएगा, और ऐसे अप्राप्त लाभ में से किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(3) सरकारी गारंटी के अंतिम निपटान या गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद बकाया किसी भी एसआर का मूल्य ₹1 होगा।

(4) रेजल्युशन के रूप में एसआर को किसी अन्य प्रकार के उपकरणों में परिवर्तित किए जाने की स्थिति में, ऐसे उपकरणों के लिए मूल्यांकन और प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान), निदेश, 2025 के तहत निर्धारित प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

84. एसआर/पीटीसी जिन्हें समाधान अवधि (अर्थात्, पांच साल या आठ साल, जैसा भी मामला हो) के अंत में भुनाया नहीं जाता है, उन्हें ऋणदाता की बही में हानि आस्ति के रूप में माना जाएगा और पूरी तरह से प्रदान किया जाएगा।

85. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बॉन्ड/एसआर/पीटीसी में ऋणदाता के निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी किए गए उपरोक्त लिखतों में से कोई भी संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित है, तो एआईएफआई ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

86. एआईएफआई को एआरसी से मानक खातों का अधिग्रहण करने से कोई मनाही नहीं है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां एआरसी ने उनके द्वारा अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋणों के लिए एक समाधान योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, एआईएफआई, अपने विवेक पर और उचित परिश्रम के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था- दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 में परिभाषित 'निगरानी अवधि' के बराबर अवधि के बाद ऐसे ऋणों को ले सकते हैं, बशर्ते कि खाता संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करता हो, जैसा कि उक्त 'निगरानी अवधि' के दौरान परिपत्र में परिभाषित



किया गया है। एआईएफआई एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति निर्धारित करेंगे जिसमें इस तरह के अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले विभिन्न पहलुओं जैसे कि अधिग्रहित की जा सकने वाली आस्तियों का प्रकार, उचित परिश्रम आवश्यकताएं, व्यवहार्यता मानदंड, परिसंपत्ति की प्रदर्शन आवश्यकता, आदि पैरा 55 के तहत आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में शामिल होंगे। कोई एआईएफआई किसी भी समय एआरसी से उन ऋण जोखिमों को प्राप्त नहीं कर सकता है जो उन्होंने स्वयं पहले अंतरित किए हैं।

87. जहां शुल्क के बदले वसूली के लिए एजेंटों के रूप में एआरसी द्वारा दबावग्रस्त ऋणों को लिया जाता है, वहां ऋणों को अंतरणकर्ताओं की पुस्तकों से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन प्राप्त होने पर प्राप्तियों को ऋण खातों में जमा कर दिया जाएगा। अंतरणकर्ता सामान्य रूप से ऋण के लिए प्रावधान करना जारी रखेंगे।

डी. स्विस् चैलेंज विधि के द्वारा मूल्य खोज

88. पैरा 60 के तहत आवश्यकताओं के अधीन, एआईएफआई अपने दबावग्रस्त ऋणों के अंतरण के लिए स्विस् चैलेंज विधि को अपनाने पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति स्थापित करेगा।

(1) नीति में उन शर्तों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिनके तहत एआईएफआई स्विस् चैलेंज पद्धति का विकल्प चुन सकते हैं, जो आधार-बोली (पैरा 91 में विनिर्दिष्ट के रूप में) में ऋणदाता (ओं) द्वारा आवश्यक हेयर कट की सीमा के लिए सहिष्णुता सीमा जैसे मापदंडों पर आधारित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, या एआईएफआई (ओं) के बोर्ड द्वारा पहचाने गए किसी भी उद्देश्य पैरामीटर।

(2) नीति में एआईएफआई(ओं) द्वारा विचार की जाने वाली चुनौती देने वाली बोली (पैरा 91 में विनिर्दिष्ट है) के लिए आवश्यक आधार-बोली पर न्यूनतम मार्क-अप भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जो किसी भी मामले में, पांच प्रतिशत से कम नहीं होगा और 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए, मार्क-अप चैलेंजर बोली और आधार-बोली के बीच का अंतर होगा जिसे आधार-बोली के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा।

89. भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था- दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 के तहत एक समाधान योजना के रूप में किए गए दबावग्रस्त ऋणों के अंतरण के मामले में, आईसीए के हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुमोदन के साथ, पैरा 12(4) में निर्दिष्ट ऋणदाताओं द्वारा विचार की जाने वाली चुनौती देने वाली बोली के लिए आवश्यक आधार-बोली पर न्यूनतम मार्क-अप उपर्युक्त का निर्णय आईसीए के हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुमोदन से किया जाएगा जो कुल बकाया ऋण सुविधाओं (निधि



आधारित और गैर-निधि आधारित) के मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त निर्णय आईसीए के किसी भी हस्ताक्षरकर्ता की किसी भी व्यक्तिगत नीति पर लागू होगा।

90. निरंतर आधार पर, एआईएफआई बैंक को उन दबावग्रस्त ऋणों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें अंतरण के लिए पेश किया जाएगा और ऐसे ऋणों की एक प्रमाणित सूची ऋणदाताओं द्वारा रखी जाएगी। सूची का खुलासा ऋणदाता के विवेक पर गोपनीयता समझौते में प्रवेश करने पर संभावित बोलीदाता को किया जा सकता है।

91. स्विस चैलेंज पद्धति की व्यापक रूपरेखा इस प्रकार है:

(1) एक विशिष्ट दबावग्रस्त ऋण प्राप्त करने में रुचि रखने वाला एक संभावित अंतरिती एआईएफआई(ओं) को बोली की पेशकश कर सकता है, जिसे आधार-बोली कहा जाएगा।

(2) एआईएफआई(ओं) तब सार्वजनिक रूप से अन्य परिप्रेक्ष्य खरीदारों से काउंटर बोलियों के लिए कॉल करेगा, तुलनीय शर्तों पर, आधार-बोली के आवश्यक तत्वों का खुलासा करके और स्पष्ट रूप से न्यूनतम मार्क-अप (जैसा कि पैरा 88 में विनिर्दिष्ट है) को निर्दिष्ट करेगा जो स्वीकार्य होगा।

(3) यदि कोई काउंटर बोली आमंत्रण में निर्दिष्ट न्यूनतम मार्क-अप को पार नहीं करती है, तो आधार-बोली विजेता बोली बन जाती है।

(4) यदि काउंटर बोली आमंत्रण में निर्दिष्ट न्यूनतम मार्क-अप को पार कर जाती है, तो उच्चतम काउंटर बोली चैलेंजर बोली बन जाती है। आधार-बोली प्रदान करने वाले संभावित अंतरिती को फिर चैलेंजर बोली से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यदि आधार-बोली प्रदान करने वाला संभावित अंतरिती या तो चैलेंजर बोली से मेल खाता है या चैलेंजर बोली से अधिक बोलियां लगाता है, तो ऐसी बोली विजेता बोली बन जाएगी; अन्यथा, चैलेंजर बोली जीतने वाली बोली होगी।

(5) इसके बाद एआईएफआई(ओं) के पास निम्नलिखित दो विकल्प होंगे:

- i. ऋण को विजेता बोलीदाता को अंतरित करें, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है;
- ii. यदि एआईएफआई विजेता बोलीदाता को ऋण अंतरित नहीं करने का निर्णय लेता है, तो एआईएफआई को निम्नलिखित में से अधिक की सीमा तक खाते पर तत्काल प्रावधान करने की आवश्यकता होगी:

ए.चैलेंजर बोली में उद्धृत पुस्तक मूल्य पर छूट, और



बी.मौजूदा आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान ।

ई. प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग

92. एआईएफआई को सभी प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
93. एआईएफआई इन निर्देशों के तहत किए गए प्रत्येक ऋण अंतरण लेनदेन की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित व्यापार रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को देंगे। इस संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। इसकी प्रत्याशा में, एआईएफआई प्रत्येक लेनदेन से संबंधित पर्याप्त एमआईएस के साथ ऋण अंतरण लेनदेन का एक डेटाबेस बनाए रखेगा जब तक कि रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को अधिसूचित नहीं किया जाता है और संबंधित निदेश जारी नहीं किए जाते हैं।



भाग बी: सह-उधार व्यवस्था(सीएलए)

94. यह निदेश 1 जनवरी, 2026 से अथवा किसी भी पूर्व की तारीख से लागू होंगे, जैसा कि आरई द्वारा अपनी आंतरिक नीति ("प्रभावी तिथि") के अनुसार निश्चित किया गया है। प्रभावी तिथि के बाद दर्ज किया गया कोई भी नया सीएलए इन निदेशों के अनुपालन में होगा।

95. मौजूदा सीएलए (अर्थात् इन निदेशों के जारी होने की तारीख से पूर्व निष्पादित ऋण व्यवस्था) और प्रभावी तिथि से पहले दर्ज किए गए नए सीएलए मौजूदा विनियमों के अनुपालन में होंगे।

अध्याय I – व्यापकता और परिभाषाएं

96. इस भाग के अनुदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं (आरई) के साथ की गई सह-ऋण व्यवस्था (सीएलए) पर लागू होंगे:

1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);
2. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान; तथा,
3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों सहित)।

97. डिजिटल ऋण व्यवस्था भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था- ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित से अभिशासित होती रहेगी।

बशर्ते कि, आरई द्वारा सह-ऋण देने वाली कोई भी डिजिटल ऋण व्यवस्था, भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 की अवहेलना बिना, इन निदेशों के प्रावधानों द्वारा निदेशित होगी /

98. इस भाग के निदेश मल्टीपल बैंकिंग, कंसोर्टियम लेंडिंग या सिंडिकेशन के तहत स्वीकृत ऋणों पर लागू नहीं होंगे।

99. इन निदेशों के संदर्भ में अन्यथा अनुमति के अलावा, कोई भी एआईएफआई ऐसे किसी भी सीएलए में प्रवेश नहीं करेगा जो इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है।

100. **परिभाषाएँ:** इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, सीएलए एक पूर्व-पूर्व समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप से एक व्यवस्था को संदर्भित करता है, जो एक आरई के बीच होता है जो ऋण उत्पन्न कर रहा है ('मूल आरई') और एक अन्य आरई जो सह-ऋण ('भागीदार आरई') है, संयुक्त रूप से ऋणों के एक



पोर्टफोलियो को निधि देने के लिए, जिसमें सुरक्षित या असुरक्षित ऋण शामिल हैं, एक पूर्व-सहमत अनुपात में, जिसमें राजस्व और जोखिम साझाकरण शामिल है।



अध्याय II- विवेकपूर्ण मानदंड

ए. सामान्य शर्तें

101. एआईएफआई के तहत बैंकों को अपने बही-खातों में व्यक्तिगत ऋणों का न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा बनाए रखना होगा।

102. एआईएफआई की ऋण नीति में सीएलए से संबंधित प्रावधानों को उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिसमें सीएलए के तहत उनके ऋण पोर्टफोलियो के अनुपात के लिए आंतरिक सीमा शामिल है; लक्षित उधारकर्ता खंड; भागीदार संस्थाओं का उचित परिश्रम; ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र।

103. सीएलए भागीदारों के बीच किए जाने वाले समझौते में व्यवस्था के विस्तृत नियम और शर्तें शामिल होंगी; उधारकर्ताओं के चयन के लिए मानदंड; विशिष्ट उत्पाद लाइनें और संचालन के क्षेत्र; ऋण देने वाली सेवाओं के लिए देय शुल्क, यदि कोई हो; जिम्मेदारियों के पृथक्करण से संबंधित प्रावधान; महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए समय-सीमा; ग्राहक इंटरफेस और ग्राहक सुरक्षा मुद्दे और शिकायत निवारण तंत्र।

स्पष्टीकरण: ऋण सेवा ऋण देने से संबंधित गतिविधियों के समूह को संदर्भित करेगी जैसे कि ग्राहक अधिग्रहण, हामीदारी करना, मूल्य निर्धारण, सर्विसिंग, निगरानी और विशिष्ट ऋण या ऋण पोर्टफोलियो की वसूली, आदि, जो आरई या उनके एजेंटों द्वारा की जाती है (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के अनुरूप)।

104. उधारकर्ता के साथ हस्ताक्षरित ऋण समझौता संबंधित आरई की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों (जैसे सोर्सिंग, और सर्विसिंग) के पृथक्करण के संबंध में एक अग्रिम प्रकटीकरण करेगा, जिसमें ग्राहक के साथ इंटरफेस का एकल बिंदु होने वाली इकाई की स्पष्ट पहचान शामिल है। ग्राहक इंटरफेस में कोई भी बाद का परिवर्तन उधारकर्ता को पूर्व सूचना देने के बाद ही किया जाएगा। ऋण-समझौते में ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित उपयुक्त प्रावधानों का भी उचित रूप से प्रकट किया जाएगा।

105. सीएलए के सभी आवश्यक विवरण संबंधित उधारकर्ता को उचित रूप से प्रकट किए जाएंगे, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) निदेश, 2025 के तहत 'ऋण और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)' पर निर्धारित किया गया है।



बी. ब्याज दर और अन्य शुल्क/प्रभार

106. उधारकर्ता को लिए गए अंतर्निहित ऋणों पर ब्याज दर और कोई अन्य शुल्क/प्रभार संविदात्मक समझौते पर आधारित होगा, जो आरई पर लागू विनियामक मानदंडों के अधीन होगा। विशेष रूप से, उधारकर्ता से ली जाने वाली अंतिम ब्याज दर मिश्रित ब्याज दर होगी जिसकी गणना संबंधित आरई द्वारा ली गई ब्याज दरों से प्राप्त ब्याज की औसत दर के रूप में की जाती है। उनकी आंतरिक ऋण नीतियों और समान या समान उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार, सीएलए के तहत संबंधित आरई के आनुपातिक वित्त पोषण हिस्से द्वारा भारित किया जाता है।

107. सीएलए के तहत संबंधित आरई द्वारा दरों में कोई भी परिवर्तन उनकी क्रेडिट नीति और मौजूदा विनियामक मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, और इसे अद्यतन मिश्रित दर में परिलक्षित किया जाएगा और उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।

108. मिश्रित ब्याज दर के अलावा उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी शुल्क/प्रभार को वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की गणना में शामिल किया जाएगा और इन निदेशों के पैरा 105 में निर्धारित केएफएस में उचित रूप से प्रकट किया जाएगा ।

109. ऋण नीति के भाग के रूप में, एआईएफआई ऋण सेवाओं के लिए देय शुल्क/प्रभारों के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करेगा, जो प्रदान की गई सेवा की प्रकृति, ऋण की मात्रा आदि जैसे प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा। इस तरह के शुल्क/प्रभारों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण वृद्धि/चूक हानि गारंटी का कोई भी तत्व शामिल नहीं होगा, जब तक कि अन्यथा अनुमति न दी गई हो।

स्पष्टीकरण

- (1) ऋण वृद्धि का वही अर्थ होगा जो इस निदेश के भाग ए में परिभाषित किया गया है।
- (2) चूक हानि की गारंटी एक संविदात्मक व्यवस्था है, जिसे मूल आरई और भागीदार आरई के बीच किसी भी नाम से कहा जाता है, जिसके तहत पूर्व आरई के ऋण पोर्टफोलियो के एक निश्चित प्रतिशत तक चूक के कारण नुकसान के लिए बाद वाले को मुआवजा देने की गारंटी देता है, जो अग्रिम निर्दिष्ट है। आरई के ऋण पोर्टफोलियो के प्रदर्शन से जुड़ी समान प्रकृति की कोई अन्य अंतर्निहित गारंटी और निर्दिष्ट अग्रिम रूप से भी डीएलजी की परिभाषा के तहत कवर की जाएगी

सी. परिचालन व्यवस्था

110. सीएलए भागीदार आरई की ओर से एक के बाद एक आधार पर, मूल आरई द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत ऋणों के अपने हिस्से को अपने बही-खातों में लेने के लिए एक अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता को पूरा करेगा।



111. सीएलए यह सुनिश्चित करेगा कि आरई के संबंधित शेयर उधारकर्ता को मूल आरई द्वारा संवितरण के बाद बिना किसी देरी के दोनों आरई की बही में परिलक्षित हों, किसी भी मामले में संवितरण की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर नहीं।

112. मूल एआईएफआई यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह सीएलए के तहत ऋण केवल भागीदार आरई को अंतरित करे, जैसा कि पूर्व- समझौते के अनुसार और ऋण की मंजूरी के समय केएफएस में विनिर्दिष्ट है।

113. यदि मूल एआईएफआई किसी भी कारण से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर सीएलए के तहत भागीदार आरई को एक्सपोजर का हिस्सा अंतरित करने में असमर्थ है, तो ऋण मूल एआईएफआई की बही में रहेगा और इस निर्देश के भाग ए के प्रावधानों के तहत ही अन्य पात्र ऋणदाताओं को अंतरित किया जा सकता है।

114. प्रत्येक आरई (एआईएफआई सहित) अपने संबंधित हिस्से के लिए व्यक्तिगत रूप से उधारकर्ता के खाते को बनाए रखेगा।

115. आरई के साथ-साथ उधारकर्ता के बीच सभी लेनदेन (संवितरण/पुनर्भुगतान) को एक बैंक के साथ बनाए गए एस्क्रो(निलंब) खाते के माध्यम से किया जाएगा (जो सीएलए में शामिल आरई में से एक भी हो सकता है)। समझौते में मूल और भागीदार आरई के बीच विनियोग के तरीके को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

116. सीएलए के तहत ऋणों को उनके संबंधित आंतरिक दिशानिर्देशों, समझौते की शर्तों और लागू विनियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आरई में आंतरिक/सांविधिक लेखा परीक्षा के दायरे में शामिल किया जाएगा।

117. आरई के बीच सीएलए की समाप्ति की स्थिति में, एआईएफआई ऋणों की अदायगी तक अपने उधारकर्ताओं को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए कारोबार निरंतरता योजना लागू करेंगे।

118. सीएलए के तहत शामिल एआईएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 के तहत समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित मानदंडों का पालन करेगा। एआईएफआई केवाईसी पर उक्त निदेशों के प्रावधानों के अनुसार "ग्राहक पहचान प्रक्रिया" के लिए मूल आरई पर भरोसा कर सकता है।

119. एआईएफआई को उन पर लागू उचित व्यवहार संहिता और शिकायत निवारण तंत्र द्वारा निर्देशित किया जाएगा।



डी. साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्ट करना

120. एआईएफआई प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के उपबंधों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और विनियमों के अनुसार ऋण खाते के अपने हिस्से के लिए सीआईसी को सूचित करने की मौजूदा आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

ई. चूक हानि की गारंटी

121. एआईएफआई बैंक सीएलए के तहत ऋणों के संबंध में बकाया ऋणों के पांच प्रतिशत तक चूक हानि गारंटी प्रदान कर सकता है। इस तरह की चूक हानि गारंटी का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित परिवर्तनों के साथ अभिशासित होगा।

एफ. आस्ति वर्गीकरण मानदंड

122. एआईएफआई सीएलए के तहत उधारकर्ता को अपने संबंधित एक्सपोजर के लिए उधारकर्ता-स्तरीय आस्ति वर्गीकरण लागू करेंगे, जिसका अर्थ है कि यदि कोई भी आरई सीएलए एक्सपोजर में चूक के कारण सीएलए के तहत किसी उधारकर्ता के लिए अपने एक्सपोजर को एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत करता है, तो वही वर्गीकरण सीएलए के तहत उधारकर्ता को अन्य आरई के एक्सपोजर पर लागू होगा। एआईएफआई इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी को लगभग वास्तविक समय के आधार पर और किसी भी मामले में अगले कार्य दिवस के अंत तक साझा करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करेंगे।

जी. ऋण एक्सपोजर का अंतरण

123. सीएलए के तहत तीसरे पक्ष को ऋण जोखिम का कोई भी बाद में अंतरण या एआईएफआई द्वारा इस तरह के ऋण जोखिम का कोई भी अंतर-अंतरण, इस निदेश के भाग ए के प्रावधानों के सख्ती से अनुपालन में होगा। हालांकि, किसी तीसरे पक्ष को इस तरह के अंतरण केवल मूल और भागीदार आरई दोनों की आपसी सहमति से किए जा सकते हैं।

एच. प्रकटीकरण

124. मौजूदा विनियमों के तहत लागू प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अलावा, एआईएफआई अपनी वेबसाइट पर सभी सक्रिय सीएलए भागीदारों की सूची का भी प्रमुखता से प्रकटीकरण करेंगे।



125. एआईएफआई समग्र आधार पर सीएलए के आवश्यक ब्यौरों के संबंध में 'खातो के लिए नोट्स' के तहत अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटन भी करेंगे। ब्यौरे में अन्य बातों के साथ-साथ सीएलए की मात्रा, भारित औसत ब्याज दर, प्रभारित/भुगतान शुल्क, व्यापक क्षेत्र जिनमें सीएलए बनाया गया था, सीएलए के तहत ऋणों का निष्पादन, चूक हानि गारंटी से संबंधित ब्यौरे, यदि कोई हो, आदि शामिल हो सकते हैं। प्रकटीकरण त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर किया जाएगा।



भाग सी – अन्य प्रकार के उधार और जोखिम अंतरण की व्यवस्था

अध्याय I – संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाएं के तहत ऋण

126. एआईएफआई परिचालन पहलुओं पर आवश्यक बुनियादी नियम तैयार करके एकल बैंक, बहु बैंक, संघीय अथवा समूहन दृष्टिकोण अपनाने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकते हैं।

एआईएफआई कई ऋणदाताओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के बारे में अपनी सूचना बैंक-अप को निम्नानुसार मजबूत करेंगे:

- (1) नई सुविधाएं प्रदान करते समय, एआईएफआई उधारकर्ताओं से [अनुबंध I](#) में विनिर्दिष्ट प्रारूप में अन्य ऋणदाताओं से पहले से प्राप्त ऋण सुविधाओं के बारे में घोषणा प्राप्त करेगा। मौजूदा एआईएफआई के मामले में, सभी एआईएफआई अपने मौजूदा उधारकर्ताओं से पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक की स्वीकृत सीमा का लाभ उठाने के लिए घोषणा की मांग करेंगे, यह उनकी जानकारी में है कि उनके उधारकर्ता अन्य ऋणदाताओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और अन्य ऋणदाताओं के साथ सूचना के आदान-प्रदान की एक प्रणाली शुरू करेंगे जैसा कि ऊपर बताया गया है।
- (2) तदोपरान्त, एआईएफआई उधारकर्ताओं के खातों के संचालन के बारे में अन्य ऋणदाताओं (संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्था के तहत भाग लेने वाले आरई) के साथ कम से कम तिमाही अंतराल पर [अनुबंध II](#) में दिए गए प्रारूप में जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे।
- (3) एआईएफआई [अनुबंध III](#) में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रचलन में आने वाले विभिन्न सांविधिक निदेश के अनुपालन के संबंध में एक पेशेवर, अधिमानतः कंपनी सचिव/लागत लेखाकार/सनदी लेखाकार द्वारा नियमित प्रमाणन प्राप्त करेगा।
- (4) इसके साथ, एआईएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी) निदेश, 2025 के तहत सूचीबद्ध ऋण सूचना कंपनियों से उपलब्ध क्रेडिट रिपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करेगा।
- (5) एआईएफआई भविष्य में ऋण करार में उपयुक्त खंडों को भी शामिल करेगा (मौजूदा सुविधाओं के मामले में अगले नवीकरण के समय) ऋण जानकारी के आदान-प्रदान के संबंध में ताकि गोपनीयता के मुद्दों को हल किया जा सके।

127. इसके साथ, सबसे अधिक निवेश वाले संघीय अग्रणी/ एआईएफआई की संस्थाओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की निगरानी में प्रमुख भूमिका होगी।



भाग डी : निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचत

128. इन निदेशों के जारी होने के साथ, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था पर लागू ऋण जोखिम के अंतरण और वितरण से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि [परिपत्र वि.वि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025](#) द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

129. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों के तहत की गई अथवा की गई अथवा शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों अथवा स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा अभिशासित माना जाएगा। इसके साथ, इन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगा:

- (1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित अथवा उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व अथवा देयता;
- (2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती अथवा सजा;
- (3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती अथवा सजा के संबंध में कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय स्थापित, जारी अथवा लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती अथवा सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

130. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अवहेलना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएं

131. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से अथवा इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन अथवा व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम



और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)

मुख्य महाप्रबंधक



अनुबंध I

बहु-बैंकिंग व्यवस्था के तहत वित्त के लिए संपर्क हेतु ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा
एआईएफआई को न्यूनतम सूचना घोषित की जाएगी

ए. अन्य एआईएफआई से ऋण लेने की व्यवस्था का विवरण
(संस्था-वार और सुविधा-वार)

I.	एआईएफआई /संस्था का नाम और पता	
II.	सुविधाओं का लाभ लेना	
ए.	निधि-आधारित क्रेडिट सुविधाएं (सुविधाओं की प्रकृति जैसे कार्यशील पूंजी/मांग ऋण/सावधि ऋण/अल्पकालिक ऋण)/विदेशी मुद्रा ऋण, कॉर्पोरेट ऋण/ऋण व्यवस्था/श्रृंखलाबद्ध वित्तपोषण, भुनाए गए बिल आदि राशि और उद्देश्य दर्शाएं)	
बी.	डेरिवेटिव के अतिरिक्त गैर-निधि-आधारित सुविधाएं (सुविधाओं की प्रकृति जैसे एल/सी, बीजी, डीपीजी (आई एंड एफ) आदि राशि और उद्देश्य दर्शाएं)	
सी.	एआईएफआई के साथ किए गए डेरिवेटिव अनुबंध (अनुबंध की प्रकृति, परिपक्वता, राशि और उद्देश्य दर्शाएं)	
III.	स्वीकृति की तिथि	
IV.	वर्तमान बकाया (डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में, ऋणात्मक एमटीएम अर्थात् जो निपटान के लिए देय नहीं है, को दर्शाया जाए)	



V.	अतिदेय स्थिति, यदि कोई है (डेरिवेटिव अनुबंधों के मामले में, ऋणात्मक एमटीएम अर्थात् अनुबंध के तहत एआईएफआई को देय राशि, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है को दर्शाया जा सकता है)	
VI.	चुकौती की शर्तें (मांग ऋण, सावधि ऋण, कॉर्पोरेट ऋण, परियोजनावार वित्त के लिए)	
VII.	प्रतिभूति प्रस्तुत (परियोजनावार वित्त/जुटाए गए ऋण और वैयक्तिक/कॉर्पोरेट गारंटी के लिए सौंपे गए विशिष्ट नकदी प्रवाह सहित प्राथमिक और संपार्श्विक दोनों प्रतिभूति का पूरा विवरण)	
VIII.	उन सुविधाओं के लिए अनुरोध जो प्रक्रियाधीन हैं	
[अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी से घरेलू और विदेशी ऋण के लिए दी जाने वाली जानकारी]		

बी. विविध विवरण

(करोड़ रुपये में)

I.	वर्ष के दौरान जुटाए गए सीपी और वर्तमान बकाया	
II.	एआईएफआई प्रणाली के बाहर वित्तपोषण का विवरण जैसे एल/सी भुनाए गए बिल	
III.	अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की राशि (कृपया नीचे दिए गए प्रारूप में मुद्रा-वार स्थिति दें)	
(i)	<i>अल्पकालिक एक्सपोजर (एक वर्ष से कम)</i>	
(ए)	अधिक्रय की स्थिति	
(बी)	अधिविक्रय की स्थिति	
(सी)	निवल अल्पकालिक एक्सपोजर (ए-बी)	



(ii)	दीर्घावधि एक्सपोजर (एक वर्ष और उससे अधिक)	
(ए)	अधिक्रय की स्थिति	
(बी)	अधिविक्रय की स्थिति	
(सी)	निवल दीर्घावधि एक्सपोजर ए-बी)	
(iii)	प्रत्येक मुद्रा के लिए समग्र निवल स्थिति (i-ii)	
(iv)	सभी मुद्राओं के लिए समग्र निवल स्थिति	
III.	स्थानों के साथ मुख्य और संबद्ध गतिविधियाँ	
IV.	बिक्री और बाजार हिस्सेदारी का क्षेत्र	
V.	एआईएफआई की आवश्यकता के अनुसार जहां भी लागू हो, डीएससीआर अनुमानों सहित वित्तीय पहलुओं का विवरण - महत्वपूर्ण वित्तीय अनुबंध, यदि कोई, अन्य ऋणदाताओं के साथ सहमत/स्वीकार किए गए हैं।	
VI.	सीआईडी खातों, वित्तपोषण एआईएफआई में/बाहर संचालित किया जा रहा है, यदि कोई हो,	
VII.	सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा मांगें/उनकी वर्तमान स्थिति	
VIII.	लंबित मुकदमें	
IX.	एआईएफआई को अन्य वित्तपोषण एआईएफआई के साथ जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत करने वाली घोषणा	



अनुबंध II

क्रेडिट सूचना विनिमय के लिए प्रारूप

भाग - I कंपनी का बायो डेटा

I.	उधार लेने वाले पक्ष का नाम और पता	
II.	संविधान	
III.	निदेशकों/भागीदारों के नाम	
IV.	व्यावसायिक कार्यकलाप	
	* मुख्य	
	* संबद्ध	
V.	अन्य वित्तपोषण करने वाले एआईएफआई के नाम	
VI.	निदेशकों/भागीदारों की मालियत	
VII.	समूह संबद्धता, यदि कोई हो	
VIII.	सहयोगी प्रतिष्ठान पर तिथि, यदि एक ही एआईएफआई के साथ एआईएफआई	
IX.	शेयरधारिता में परिवर्तन और पिछली रिपोर्ट से प्रबंधन, यदि कोई	

भाग - II प्रमुख क्रेडिट गुणवत्ता संकेतक

I.	आईआरएसी वर्गीकरण	
II.	कथन के साथ आंतरिक क्रेडिट रेटिंग	
III.	बाहरी क्रेडिट रेटिंग, यदि कोई	
IV.	उधारकर्ता की नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट	----- की स्थिति के अनुसार



भाग – III

डेरिवेटिव के अतिरिक्त एक्सपोजर विवरण

(रुपये करोड़ में)

I.	ऋण सुविधाओं का प्रकार, जैसे कार्यशील पूंजी ऋण/मांग ऋण/सावधि ऋण/अल्पकालिक ऋण/विदेशी मुद्रा ऋण, कॉर्पोरेट ऋण / ऋण व्यवस्था/ऋणखलाबद्ध वित्तपोषण, एलसी, बीजी और डीपीजी (आई एंड एफ) आदि जैसी आकस्मिक सुविधाएं। इसके अतिरिक्त, राज्य एल/सी बिलों में छूट/परियोजनावार वित्त का लाभ लिया गया।
II.	ऋण का उद्देश्य
III.	ऋण सुविधाओं की तिथि (अस्थायी सुविधाओं सहित)
IV.	स्वीकृत राशि (सुविधा वार)
V.	शेष राशि बकाया (सुविधा के अनुसार)
VI.	चुकौती की शर्तें
VII.	प्रतिभूति की पेशकश
	* प्राथमिक
	* संपार्श्विक
	* वैयक्तिक/कॉर्पोरेट गारंटी
	* नकदी प्रवाह पर नियंत्रण की सीमा
VIII.	सावधि प्रतिबद्धताओं/पट्टा किराय /अन्य में चूक
IX.	कोई अन्य विशेष जानकारी जैसे अदालती मामले, सांविधिक बकाया, प्रमुख चूक, प्रतिकूल आंतरिक / बाहरी लेखा परीक्षा टिप्पणियां



भाग - IV

एक्सपोजर विवरण - डेरिवेटिव लेनदेन

(रुपये करोड़ में)

क्र.संख्या.	डेरिवेटिव लेनदेन की प्रकृति	संविदाएं की कल्पित राशि	संविदाएं की भारित औसत परिपक्वता	एआईएफआई के सकारात्मक एमटीएम की राशि (निपटान के लिए देय नहीं है)	संविदाएं की राशि एनपीए के रूप में वर्गीकृत	कल्पित बकाया संविदाएं की राशि जिनकी पुनःसंरचना की गई है	पुनःसंरचना का मुख्य कारण (संक्षेप में)
ए.	बिल्कुल सादा संविदाएं						
1.	विदेशी मुद्रा अग्रिम संविदाएं						
2.	ब्याज दर अदला-बदली						
3.	विदेशी मुद्रा आप्शंस						
4.	कोई अन्य संविदाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)						
बी.	लागत में कमी/शून्य लागत लागत संरचनाओं के रूप में डिजाइन किए गए विभिन्न प्रकार के आप्शंस संयोजनों सहित जटिल डेरिवेटिव						



1.	ऐसी संविदाएं जिनमें केवल ब्याज दर डेरिवेटिव शामिल हों						
2.	विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव से जुड़े अन्य संविदाएं सहित						
3.	कोई अन्य संविदाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)						

भाग - V

मुद्रा-वार विवरण के साथ उधारकर्ता के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का विवरण

(रुपये करोड़ में)

I	अल्पकालिक एक्सपोजर (एक वर्ष से कम)	
(ए)	अधिक्रय की स्थिति	
(बी)	अधिविक्रय की स्थिति	
(सी)	निवल अल्पकालिक एक्सपोजर (ए-बी)	
II	दीर्घावधि एक्सपोजर (एक वर्ष और उससे अधिक)	
(ए)	अधिक्रय की स्थिति	
(बी)	अधिविक्रय की स्थिति	
(सी)	निवल दीर्घावधि एक्सपोजर ए-बी)	
III	प्रत्येक मुद्रा के लिए समग्र निवल स्थिति (I-II) (कृपया प्रत्येक मुद्रा के लिए इस प्रारूप में समग्र निवल स्थिति दें)	
IV	सभी मुद्राओं के लिए समग्र निवल स्थिति	



भाग - VI
उधारकर्ता के साथ अनुभव

I.	वित्त पोषित सुविधाओं का संचालन (नकदी प्रबंधन/अधि-आहरण की प्रवृत्ति के आधार पर)	
II.	आकस्मिक सुविधाओं का संचालन (भुगतान इतिहास के आधार पर)	
III.	वित्तीय प्रसंविदा का अनुपालन	
IV.	कंपनी की आंतरिक प्रणालियां और प्रक्रियाएं	
V.	प्रबंधन की गुणवत्ता	
VI.	समग्र मूल्यांकन	
(उपरोक्त को केवल अच्छा, संतोषजनक अथवा समान से नीचे दर्जा दिया जाना चाहिए)		
(*) इस मद के तहत टिप्पणियों को शामिल करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं		

भाग - VI के अंतर्गत टिप्पणियों को शामिल करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश क्रेडिट सूचना रिपोर्ट का (अनुभव)

		अच्छा	संतोषजनक	समान से नीचे	
I.	वित्त पोषित सुविधाओं का संचालन				
*	अधि-आहरण (संख्या)	4 बार तक	5 से 6 बार	6 बार से ऊपर	
*	समायोजन की औसत अवधि	1 महीने के भीतर	2 महीने के भीतर	2 महीने से अधिक	
*	अधि-आहरण की सीमा (सीमा का%)	10% तक	10 से 20%	20% से ऊपर	
II.	आकस्मिक सुविधाओं का संचालन (डेरिवेटिव के अतिरिक्त)				
*	चूक की संख्या	2 बार तक	3 से 4 बार	4 बार से ऊपर	
*	समायोजन की औसत अवधि	1 सप्ताह के भीतर	2 सप्ताह के भीतर	2 सप्ताह से अधिक	
III.	डेरिवेटिव लेनदेन का संचालन				
*	ऐसे संविदाएं की संख्या जहां एआईएफआई के कारण सकारात्मक	संविदाएं की कुल संख्या का <25%	संविदाएं की कुल संख्या का 25-50%	> संविदाएं की कुल	



		एमटीएम मूल्य 30 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहा			संख्या का 50%
	*	ऐसे संविदाएं की संख्या जहां एआईएफआई के देय सकारात्मक एमटीएम मूल्य 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहा और खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना था (लेकिन बाद में नियमित किया गया और सूचना के आदान-प्रदान की तारीख को एनपीए नहीं है) नोट: सभी मामले जहां किसी भी संविदाएं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और सूचना के आदान-प्रदान की तारीख तक एनपीए बना हुआ है, उन्हें दिखाया जाना चाहिए समान से नीचे)	संविदाएं की कुल संख्या का <1%	संविदाएं की कुल संख्या का 1-5%	संविदाएं की कुल संख्या का >5%
	*	सुसंगत अवधि के दौरान पुनर्संचित संविदाएं की संख्या	संविदाएं की कुल संख्या का <25%	संविदाएं की कुल संख्या का 25-50%	संविदाएं की कुल संख्या का >50%
IV. वित्तीय प्रसंविदा का अनुपालन					
	*	स्टॉक विवरण/वित्तीय डेटा	समय से	15 दिनों तक की देरी	15 दिनों से अधिक की देरी
	*	ऋण-भार सृजित करना	तुरन्त	2 महीने तक की देरी	2 महीने से अधिक की देरी
V. कंपनी की आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ					
	*	इन्वेंटरी प्रबंधन	पर्याप्त प्रणालियां मौजूद हैं	पर्याप्त प्रणालियां मौजूद हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है	पर्याप्त प्रणालियां मौजूद नहीं हैं



	*	प्राप्य राशियां प्रबंधन	- यथा -	- यथा -	- यथा -
	*	संसाधन आवंटन	- यथा -	- यथा -	- यथा -
	*	जानकारी पर नियंत्रण	- यथा -	- यथा -	- यथा -
VI. प्रबंधन की गुणवत्ता					
	*	अखंडता	भरोसेमंद	कुछ भी प्रतिकूल नहीं	पिछले कॉलम में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता
	*	विशेषज्ञता क्षमता/प्रतिबद्धताएं	पेशेवर और दूरदर्शी	आवश्यक अनुभव है	- यथा -
	*	ट्रैक्ट रिकॉर्ड	समय से	निष्पादन /	- यथा -



भाग : I

सावधानी रिपोर्ट

प्रेषिती,

प्रबंधक,

_____ (एआईएफआई का नाम)

मैं/मैंने _____ लिमिटेड के रजिस्ट्रारों, अभिलेखों, बही और कागजात की जांच की है, जिसका पंजीकृत कार्यालय..... है, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत यह आवश्यक है, कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में निहित प्रावधानों, विभिन्न सांविधिक के प्रावधान, जहां भी लागू हो, साथ ही सचीबद्धता करार में निहित प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के साथ समाप्त होने वाले छमाही के लिए दर्ज किए गए हैं..... मेरी/हमारी राय में और मेरे/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मेरे/हमारे द्वारा की गई जांच और कंपनी, उसके अधिकारियों और एजेंटों द्वारा मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार। मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त अवधि के संबंध में:

1. कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो अनुबंध में सूचीबद्ध है, और बोर्ड का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में हुए निम्नलिखित परिवर्तन अनुबंध में सूचीबद्ध हैं, और इस तरह के परिवर्तन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के समुचित अनुपालन में किए गए हैं।

2. ----- की स्थिति के अनुसार कंपनी का शेयरधारिता स्वरूप अनुबंध में दिया गया है:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में हुए परिवर्तनों का विवरण अनुबंध..... में दिया गया है:

3. कंपनी ने निम्नलिखित प्रावधानों में बदलाव किया है

(i) समीक्षाधीन अवधि के दौरान संस्था के बर्हिनियम और इस उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।



(ii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान संस्था के अंतर्नियम और इस उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

4. कंपनी ने व्यावसायिक संस्थाओं के साथ लेन-देन किया है जिसमें कंपनी के निदेशकों हितबद्ध थे, जैसा कि अनुबंध में बताया गया है.....

5. कंपनी ने अपने निदेशकों और/अथवा व्यक्ति अथवा फर्मों अथवा कंपनियों को अग्रिम ऋण, गारंटी और _____ रुपये की प्रतिभूतियां प्रदान की हैं, जिनमें निदेशक हितबद्ध थे, और कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुपालन किया है।

6. कंपनी ने ऋण और निवेश किया है; अथवा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं को गारंटी अथवा प्रतिभूतियां प्रदान की गई हैं जैसा कि अनुबंध में वर्णित हैऔर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

7. कंपनी द्वारा अपने निदेशकों, सदस्यों, वित्तीय संस्थानों, एआईएफआई और अन्य लोगों से उधार ली गई राशि कंपनी की उधार सीमा में थी। इस तरह के उधार कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन में किए गए थे। कंपनी के घरेलू ऋणों का विवरण अनुबंध में दिया गया है :

8. कंपनी ने जनता की जमा राशियों, गैर- जमानती ऋणों, डिबेंचरों, एआईएफआई, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दी गई सुविधाओं के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

9. कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों पर अनुबंध के विवरण अनुसार ऋण-भार सृजित, संशोधित अथवा शर्त पूरी की है। कंपनी द्वारा विदेशों में पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाएं और/अथवा संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है

10. की स्थिति के अनुसार कंपनी के विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र और विदेशी ऋण का मूलधन मूल्य का विवरण अनुबंध में नीचे दिए गए अनुसार"

11. कंपनी ने इसके हकदार व्यक्तियों को प्रतिभूतियां जारी और आवंटित की हैं और संबंधित व्यक्तियों पर जारी पत्र, कूपन, वारंट और प्रमाण पत्र भी जारी किए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य सुसंगत संविधियों के प्रावधानों के अनुपालन में निर्धारित समय के भीतर अधिमान शेयरों/डिबेंचरों का मोचन किया है और अपने शेयरों को वापस खरीद लिया है।



12. कंपनी ने अपनी सभी जमानती संपत्तियों का बीमा किया है।
13. कंपनी ने किसी भी सुविधा का लाभ उठाने के समय और सुविधा की अवधि के दौरान ऋणदाता एआईएफआई /वित्तीय संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है।
14. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने शेयरधारकों को लाभांश घोषित और भुगतान किया है।
15. कंपनी ने अपनी सभी परिसंपत्तियों का पूरी तरह से बीमा किया है।
16. कंपनी और अथवा उसके किसी निदेशक का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ताओं की सूची में नहीं आता है।
17. कंपनी और अथवा उसके किसी भी निदेशक का नाम निर्यात ऋण गारंटी निगम की विशिष्ट अनुमोदन सूची में दिखाई नहीं देता है।
18. कंपनी ने अपने सभी सांविधिक देय राशियों का भुगतान कर दिया है और ऐसे किसी भी बकाये के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है।
19. एआईएफआई/वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई निधियों का उपयोग कंपनी द्वारा उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें उधार लिया गया था।
20. कंपनी ने अपने अंतर-कंपनी ऋणों और निवेशों के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 372ए में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया है।
21. निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से यह देखा गया है कि कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया है।
22. विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के तहत कथित चूक/अपराधों के लिए कंपनी द्वारा शुरू किए गए अथवा कारण बताओ नोटिस और कंपनी पर लगाए गए जुर्माने और दंड तथा ऐसे मामलों में कंपनी और/अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध शुरू की गई किसी अन्य कार्रवाई का विवरण अनुबंध में दिया गया है.....
23. कंपनी ने (एक सूचीबद्ध इकाई होने से) सूचीबद्ध करार के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
24. कंपनी ने भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के अंशदान को निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्राधिकारियों के पास जमा कर दिया है।



नोट: योग्यता, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणी, यदि कोई हो, सुनिश्चित रूप से ऊपर सुसंगत पैरा में कहा गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

कंपनी सचिव / फर्म का नाम

सी.पी.सं.:

भाग II:

सनदी लेखाकार /कंपनी सचिवों/लागत लेखाकारों द्वारा उधार कंपनियों के प्रमाणन

- i. एआईएफआई द्वारा स्टॉक लेखापरीक्षा के लिए विचारार्थ विषयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि सनदी लेखाकार ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
- ii. यदि उधार दी गई निधियों का अंतिम उपयोग सत्यापन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो एआईएफआई के लिए सुविधाजनक होगा।
- iii. एआईएफआई चूंकि अक्सर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के साथ लेनदेन करते हैं, इसलिए एक विशिष्ट आवर्त से ऊपर की ऐसी कंपनियों के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कंपनियों के समान बनाया जाएगा, जैसे समेकित तुलनपत्र, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग आदि। बड़ी शेयरधारिता की जानकारी भी उपयोगी होगी।
- iv. इसके साथ, सनदी लेखाकार अथवा कंपनी सचिव अथवा लागत लेखाकार से निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाणन पर भी विचार किया जाएगा: -

(ए) कंपनी निदेशक चूककर्ता की सूची (आरबीआई/ईसीजीसी)/इरादतन चूककर्ताओं सूची आदि) में नहीं आ रहे

(बी) विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा से ऊपर मुकदमे का विवरण।

(सी) कंपनी अधिनियम की धारा 372 (ए) के अनुपालन के संबंध में संभवतः कंपनी सचिव से विशिष्ट प्रमाण पत्र।

(डी) कंपनी की आस्तियों पर प्रभारों के सृजन/संशोधन/प्रभार की संतुष्टि का विवरण, बीमा के संबंध में स्थिति, कारण बताओ नोटिस, निष्कर्षों और दिए गए दंड का विवरण।



- v. जहां तक लेखापरीक्षक के आवर्तन का संबंध है, परिचालन सुविधा के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि उन्हें 3 साल के स्थान पर प्रत्येक 5 साल में एक बार बदला जाएगा।
- vi. संकेंद्रण रोकने के लिए समूह कंपनियों के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार होने की स्थिति में अलग-अलग सांविधिक/आंतरिक लेखापरीक्षक होंगे।